

मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम
(म.प्र.—ईसीबीसी नियम)



Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam Limited
(M.P. Govt. undertaking)

विषय सूची –

1.	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
2.	परिभाषाएँ
3.	आवेदन
4.	अनुपालन एवं विधि
5.	संस्थागत व्यवस्था
6.	संहिता के अनुपालन वाले भवन के निर्माण/पुर्ननिर्माण की प्रक्रिया
7.	समीक्षा के अधिकार
8.	स्वामी के उत्तरदायित्व और कर्तव्य
9.	नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के उत्तरदायित्व और कर्तव्य
10.	राज्य नामित अभिकरण के उत्तरदायित्व और कर्तव्य
11.	विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व और कर्तव्य
12.	अधिकारिता के प्राधिकारी के उत्तरदायित्व और कर्तव्य
13.	प्रोत्साहन
14.	विविध

मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने के लिए, असाधारण, भाग IV- ए

विभाग का पता जहां से यह दस्तावेज है

—पत्र क्रमांक— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001 के 52) की धारा 15 से सम्मानित शक्ति के अभ्यास में, मध्यप्रदेश सरकार ने इसके लिए मध्यप्रदेश—ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं।

अधिसूचना (Notification)

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (Short Title & Commencement)

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश—ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ (Definitions):—

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - (1) 'अधिनियम' (Act) से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 यथा संशोधित, (2001 का 52) अभिप्रेत है;
 - (2) 'अधिकारिता के प्राधिकारी' (Authority Having Jurisdiction) से अभिप्रेत है नगर/ग्राम—प्राधिकरण या समिति या परिषद् या विकास एवं नियोजन प्राधिकरण है, जिसे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भवनों में अनुमोदन/निर्माण/पुर्ननिर्माण को विनियमित करने की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं;
 - (3) 'सर्वोत्तम प्रथाओं' (Best Practices) से तात्पर्य उन उपायों से अभिप्रेत है जिनमें—
 - (a) सुरक्षा के संबंध में निर्माण की लागत को कम करना, भवन संरचना की स्थिरता, केंद्रीय विधियों या राज्य विधियों के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय उपाबंध; और
 - (b) जिसमें मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित ऊर्जा संरक्षण उपाय शामिल हैं;

- (4) 'भवन' या 'भवन संकुल' (Building or Building Complex) का तात्पर्य एक ऐसी संरचना से है जिसे पूर्णतया या आंशिक रूप से बाह्य तथा साझी दीवारों तथा छत द्वारा समस्त रूप से घेरा जाता है जिसके द्वारा व्यक्तियों, पशुओं या सम्पत्ति को आश्रय प्रदान किया जाता है। भवन संकुल का तात्पर्य एक संस्पर्शी क्षेत्र में एक भवन या भवन समूह से है जिसका उपयोग व्यवसाय/व्यापार, वाणिज्यिक, संस्थागत स्वास्थ्य देखभाल, आतिथ्य सत्कार या सम्मेलन भवन प्रयोजनों के लिये किया जाता है या फिर ये व्यक्तियों के एकल स्वामित्व अथवा व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत या सहकारी समूह समिति के नाम से या पट्टे पर प्राप्त किये गये होते हैं या जिनका विक्रय दुकानों के रूप में किया जाता है या कार्यालय स्थान के रूप में या अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु स्थान होते हैं, जिनका संयोजित विद्युत भार या संविदा माँग एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2 (सीमा क्षेत्र) में परिभाषित किया गया हो।
- (5) 'निर्मित क्षेत्रफल' (Built-up Area): निर्मित क्षेत्र से अभिप्रेत होगा समस्त तालो का कुल निर्मित क्षेत्र लिफ्ट बेल सर्विस डक्ट लिफ्ट हेतु मशीने कक्ष, जल टंकिया उत्थापक (एस्कलेटर) लिफ्ट लॉबी, अग्नि निकास, रैंप, रिफ्यूज तथा सर्विस डक्ट, बीच का तल (मेजनाईन फ्लोर) बालकनी 1.2 मीटर तक वाहन क्षेत्र, वाहन तल, यन्त्रचालित वाहन क्षेत्र, पोर्च सर्विस फ्लोर, पोडियम, निजी गैरेज (25 वर्ग मीटर से अनधिक), कर्मचारी आवास (25 वर्ग मीटर से अनधिक), तल घर (मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं उसके बाद के संस्करण के खण्ड 76 के अध्याधीन रहते हुए), गलियारे, आर्केड, लॉबी, मम्टी, सीढीया, प्रेश लॉबी या फोयर्स, एट्रीयम, जो की वाणिज्यिक क्रियाकलाप के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, पंप कक्ष तथा दो चोकीदार के हट प्रत्येक 6 वर्ग मीटर से अधिक न हो, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं उसके बाद के संस्करण के खण्ड 58 के अधीन विहित सीमाओं से अधिक अच्छादित बहार निकले हुए भाग सम्मिलित होंगे। यदि निर्मित स्वरूप के नीचे का भाग विद्यमान भू संरचना के कारण आवास योग्य स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है तो ऐसा

क्षेत्र आवास योग्य क्षेत्र के रूप में अनुमत किया जा सकेगा तथा तल क्षेत्र अनुपात के रूप में संगणित किया जायगा।

- (6) 'ब्यूरो या बीईई' (Bureau or BEE): से अभिप्रेत है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारत सरकार;
- (7) 'उप-नियमों' (Bye Laws): से अभिप्रेत है इसकी अधिकारिता में आने वाले इसके क्षेत्रों में निर्माण क्रियाकलापों के विनियमन के लिए इसके नियंत्रण के अधीन राज्य सरकार या किसी भी प्राधिकारी द्वारा निर्मित भवन उप-नियम है— सभी नगरपालिका प्राधिकरण या समितियाँ या परिषदें; या नगर पंचायतें या विकास या योजना के प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र; राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत और उसके अधिकारिता में जिसमें उक्त प्राधिकरण द्वारा लागू मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का अनुपालन करने वाला भवन स्थित होगा और इसमें राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी विनियम या नियम या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अधिकारिता वाले किसी भी अन्य प्राधिकरण में शामिल होगा;
- (8) 'प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन)' (Certified Energy Auditor (Building)): से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा प्रबंधकों के लिए न्यूनतम अर्हता) नियम 2006 में निर्दिष्ट पात्रता, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत दिए गए निर्दिष्ट पात्रता मानदण्डों को पूरा करता है और जिसने ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा अर्हित की है;
- (9) 'वाणिज्यिक भवन' (Commercial Building): ये एक भवन, या भवन का कोई भाग या भवन संकुल है जिनका उपयोग या उपयोग का उद्देश्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये होता है तथा इसे टाइम ऑफ दी डे के अनुसार भवन को परिचालित होने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसका रूपांकन निर्माण तथा उपयोग की संरचनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप निम्नानुसार उपवर्गीकृत किया जाता है:—
 - (a) समूह एक— इनके अंतर्गत चौबीस घंटे उपयोग में आने वाले

टाईप-ए आतिथ्य सत्कार टाईप-बी स्वास्थ्य देखभाल तथा टाईप-सी सम्मेलन भवन आदि शामिल हैं, और

(b) समूह दो- इसके अंतर्गत नियमित भवन आते हैं जिनमें टाईप-डी व्यवसाय/व्यापार टाईप-ई शैक्षणिक तथा टाईप-एफ विपणन संकुल शामिल हैं।

- (10) 'अनुपालन विलेख' (Compliance Document): ये ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियमों तथा विनियमों में निर्दिष्ट किये गये प्रारूप हैं जिनका उपयोग इन नियमों के अनुपालन को अभिलेखित तथा परीक्षण करने के लिये किया जाता है। इनमें निम्न को शामिल किया जाता है, जो मात्र इन तक ही सीमित नहीं होते, यथा, अर्थात् ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात अनुपालन प्रतिवेदन, अर्थात् भवन आवरण अनुपालन प्रारूप, अर्थात् यान्त्रिक प्रणालियाँ अनुपालन प्रारूप तथा अनुज्ञा जाँच सूची, अर्थात् प्रकाश व्यवस्था प्रणाली अनुपालन प्रारूप तथा विद्यमान अथवा प्रस्तावित भवनों हेतु प्रमाणित ऊर्जा अंकेक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र;
- (11) 'संयोजित भार' (Connected Load): यह भवनों या भवन संकुलों या भवन के किसी भाग में स्थापित किये जाने वाले समस्त उपकरणों उपस्करों, तथा यंत्रों के मूल्योक्त वाटेज (Wattage) का योग है जिसे किलोवाट के रूप में दर्शाया जाता है तथा जिसे समस्त आवेदकों को प्रस्तावित भवन या भवन संकुलों के बारे में उनके कार्य समापन पर विद्युत ऊर्जा खपत हेतु आवंटित किया जाता है। इन नियमों में इसका तात्पर्य एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2 (सीमा क्षेत्र) में परिभाषित आँकड़ों से होगा;
- (12) 'निर्माण विलेख' (Construction Document): ये अधिकारिता के प्राधिकारी हेतु वांछित आरेखण अथवा विलेख होते हैं जिनके अंतर्गत भवन निर्माण प्रक्रियाएँ तथा अनुमोदन, भवन निर्माण सामग्री तथा उपकरण विशिष्टियाँ, वास्तुशिल्पीय विवरण आदि सम्मिलित होते हैं;
- (13) 'संविदा माँग' (Contract Demand): यह किलोवाट अथवा किलो वोल्ट एम्पीयर में (उपभोक्ता के स्वीकृत भार के अंतर्गत) अधिकतम माँग है जिसे विद्युत प्रदायक संस्था या जनोपयोगी सेवा द्वारा उपयोगकर्ताओं तथा

जनोपयोगी सेवा अथवा विद्युत प्रदायक संस्था के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के अंतर्गत प्रदाय किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है। इन नियमों में इसका तात्पर्य एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2 (सीमा क्षेत्र) में परिभाषित आँकड़ों से होगा;

- (14) 'विभाग' (Department): नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन;
- (15) 'विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी' (DISCOM or Distribution Licensee): से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिधारी जो अपने विद्युत प्रदाय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय संबंधी वितरण प्रणाली के परिचालन तथा संधारण हेतु प्राधिकृत है;
- (16) 'नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन)' (Empanelled Energy Auditor (Building)): से अभिप्रेत है फर्म जिसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखा परीक्षक और ऊर्जा प्रबंधक) विनियम, 2010 के अधीन प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) जो ब्यूरो या राज्य नामित अभिकरण के साथ सूचीबद्ध है;
- (17) 'ऊर्जा निष्पादन सूचकांक' (Energy Performance Index): किसी भवन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक का अभिप्राय भवन के क्षेत्रफल की वार्षिक ऊर्जा खपत से है जिसकी गणना किलोवाट-आवर्स प्रतिवर्ग मीटर में विद्यमान या प्रस्तावित भवन हेतु निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी, अर्थात्

{किलोवाट आवर (टोटल) में वार्षिक ऊर्जा खपत}

ऊर्जा निष्पादन सूचकांक =

निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)

{भण्डारण क्षेत्रफल + तलघर में पार्किंग क्षेत्रफल को छोड़कर}

- (18) 'ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात' (Energy Performance Index Ratio): का तात्पर्य प्रस्तावित भवन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक तथा मानक भवन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक के अनुपात से है;
- (19) 'प्रतिष्ठान' (Establishment): से अभिप्रेत है एक कारोबार या अन्य संगठन या वह स्थायन जहाँ एक संगठन संचालित होता है और इसमें एक सरकारी प्रतिष्ठान और प्राईवेट प्रतिष्ठान शामिल होता है;
- (20) 'प्रारूप' (FORM): से इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है;

- (21) 'मध्य प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (म.प्र.-ई.सी.बी.सी.)' (Madhya Pradesh Energy Conservation Building Code (MP-ECBC)): से अभिप्रेत है ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता जिसे मध्यप्रदेश के अनुसार संशोधित किया गया है अथवा इसके अनुवर्ती अद्वतन किए जाने वाले रूपांतरण जिसे ब्यूरो द्वारा अनुमोदित किया गया हो तथा राज्य नामित अभिकरण द्वारा अद्वतन संस्करण को अनुमोदित किया गया हो, उपलब्ध किया जाएगा।
- (22) 'मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड' (Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam Limited): ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा-15 के खण्ड-'घ' के अनुसार राज्य नामित अभिकरण है जो राज्य के अधीन इस अधिनियम के प्रावधानों के समन्वयन, विनियम तथा प्रवर्तन हेतु उत्तरदायी संस्था है।
- (23) 'स्वामी' (Owner): से तात्पर्य है कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, न्यास, संस्था, पंजीकृत निकाय राज्य या फिर केन्द्र सरकार तथा इनके संलग्न या अधीनस्थ विभाग, उपक्रम तथा सदृश अभिकरण या संगठन/संस्थाएँ जिनके नाम से सम्पत्ति किसी भवन या भवन संकुल के निर्माण हेतु राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत की गई है।
- (24) 'प्रस्तावित भवन' (Proposed Building): यह भवन के वास्तविक रूपांकन से सुसंबद्ध होता है तथा मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।
- (25) 'प्रस्तावित रूपांकन' (Proposed Design): यह वास्तविक रूपांकन से सुसंबद्ध प्रस्तावित भवन का कम्प्यूटर मॉडल होता है जो ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता की समस्त अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।
- (26) 'प्रतिनिधि' (Representative): का अर्थ किसी विभाग के प्राधिकृत अधिकारी से है जो इन नियमों की जरूरत अनुसार आवश्यक निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत है;
- (27) 'मानक भवन' (Standard Building): एक ऐसा भवन है जिसके निर्माण में अल्पतम तौर पर ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता की समस्त अनिवार्य तथा निर्देशात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है तथा इसका

प्रस्तावित भवन के अनुरूप ही समान फर्श क्षेत्रफल, सकल दीवार क्षेत्रफल, तथा सकल छत क्षेत्रफल होता है।

(28) 'मानक रूपांकन' (Standard Design): यह वास्तविक भवन के रूपांकन पर आधारित किसी परिकल्पित भवन का कम्प्यूटर मॉडल है जिसे तैयार करने में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता की समस्त अनिवार्य आवश्यकताओं तथा अल्पतम तौर पर निर्देशात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है जैसा कि इसका वर्णन सम्पूर्ण भवन निष्पादन विधि में किया गया है।

(2) संहिता में प्रयुक्त जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, इनके वही अर्थ होंगे जो मध्यप्रदेश ऊर्जा भवन संरक्षण संहिता या राष्ट्रीय भवन संहिता या इसके बाद के अद्यतन संस्करणों में किया गया है।

3. आवेदन (Application):-

यह नियम प्रत्येक नए भवन, या नए भवन संकुल पर लागू होंगे; यदि वह एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2 (सीमा क्षेत्र) के अंतर्गत आते हो

हालांकि, यह नियम विद्यमान भवन, या विद्यमान भवन संकुल पर भी लागू होंगा

(a) यदि इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन या विस्तार किये जाने के बाद, संयोजित भार या संविदा माँग में बदलाव होने पर (विद्यमान भार या माँग से – समान रहने पर, घटने या बढ़ने पर), यदि एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2 (सीमा क्षेत्र) के अंतर्गत आता हो; तब स्वामी को अध्याय-3 के खंड (3) के अनुसार उल्लेखित नियमों का अनुपालन करना होगा।

अथवा

(b) यदि भवनों में किसी प्रकार के परिवर्तन या विस्तार ना किये गया हो, जबकि संयोजित भार या संविदा माँग में बदलाव होने पर, यदि एमपी-ईसीबीसी के

अध्याय-2 (सीमा क्षेत्र) के अंतर्गत आता हो, तब स्वामी को घोषणापत्र के माध्यम से राज्य नामित अभिकरण से मध्य प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति कि निगरानी में अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

4 अनुपालन एवं विधि (Compliance and Approach):-

इन नियमों का अनुपालन एवं विधि एमपी-ईसीबीसी के अनुसार; या इसके बाद के संशोधन अथवा अद्यतन संस्करणों के अनुसार होना चाहिए।

5 संस्थागत व्यवस्था (Institutional Setup):-

मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के सुचारु संचालन, क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित समितियाँ स्थापित की जानी हैं:-

(1) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति (MP-ECBC Implementation committee):- राज्य के लिए, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्न सदस्य होंगे -

- राज्य शासन के मुख्य सचिव या चयनित प्रतिनिधि- अध्यक्ष
- प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग- सदस्य
- प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग- सदस्य
- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग- सदस्य
- प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग- सदस्य
- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग- सदस्य
- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश- सदस्य
- राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के परियोजना निदेशक (परियोजना क्रियान्वयन इकाई) या मुख्य अभियंता- सदस्य
- राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुविद- सदस्य
- सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग- सदस्य
- प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी से एक प्रतिनिधि- सदस्य

- ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि— सदस्य
- विभाग द्वारा चयनित तीन तकनीकी विशेषज्ञ— सदस्य
- प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल— सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति के मुख्य उत्तरदायित्व निम्नानुसार है –

- इन नियमों के उपाबंधों के अनुसार भवन के निष्पादन के लिए भवन के विभिन्न घटकों और प्रणालियों में मापदण्डों के अनुकूलन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता मानकों को बढ़ावा देना और वाणिज्यिक भवनों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने का एक प्रभावी साधन बनाने के लिए प्रत्येक समर्थन प्रदान करना;
- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति की सहायता के लिए ब्यूरो को इसकी सिफारिशों को अग्रेषित के लिए ऊर्जा निष्पादन सूचकांक, क्षेत्र—वार – गर्म और शुष्क क्षेत्र एवं मिश्रित क्षेत्र का वर्गीकरण—वार करना;
- ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और संहिता के अनुपालन वाले भवन निर्माण के लिए प्रक्रिया के बारे में जागरूकता सृजन करना;
- ऊर्जा दक्ष भवनो के निर्माण को प्रोत्साहन देना जिससे कि भवन निर्माण परियोजनाओं की जलवायु परिस्थितियों और आवश्यकताओं के संबंध में, उनके निर्माण में, गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित हो सके;
- भवनों के ऊर्जा दक्ष रूपांकन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारिता के प्राधिकारियों के साथ निकट समन्वय में भवन निर्माण वृत्तिकों, निर्माणकर्ता और संविदाकारों की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना;
- विभागों/संस्थानों/भवन—स्वामी/एवं—अन्य के निर्धारित उत्तरदायित्व के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार शुल्क—संरचना एवं वित्तीय—व्यवस्था की संरचना कर लागू करना;

- (g) सभी नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के ब्यूरो को जाँचने के लिए उनके वार्षिक कार्य के निष्पादन का पुर्नविलोकन करना;
- (h) आवश्यकतानुसार, तथा अधिकारिता के प्राधिकारी, राज्य नामित अभिकरण एवं विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, के सुझावों के आधार पर, प्राधिकारी मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों पर आवश्यक संशोधन करना;
- (i) हर पांच साल में कम से कम एक बार मध्य प्रदेश के लिए ईसीबीसी पर समीक्षा करना;

अथवा

आवश्यकतानुसार ब्यूरो के परामर्श से इन नियमों में निर्दिष्ट ईसीबीसी को संशोधित करना;

- (j) अतिक्रमण का सारांश तैयार करना जो राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा ब्यूरो को प्रदान किया जाएगा और उनके व्यावसायिक कौशल का मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए इस तरह के अतिक्रमण की पुर्नविलोकन होगी;

- (2) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति (MP-ECBC Technical Grievances Redressal Committee)— मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति अपने राज्य के लिए, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारी की अध्यक्षता वाली “मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति समिति” का गठन करेगी, जो अनुभव और प्रशिक्षण से योग्य है एवं राज्य में मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन के निर्माण से संबंधित मामलों पर निर्णय दें:

- नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारी (अध्यक्ष)
- राज्य नामित अभिकरण के प्रतिनिधि (सदस्य)

- सम्बन्धित अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के प्रतिनिधि (सदस्य)
- एक तकनीकी विशेषज्ञ (सदस्य)

मध्यप्रदेश तकनीकी निवारण समिति के उत्तरदायित्व निम्नानुसार है—

- (a) इस संबंध में किसी भी शिकायत की सुनवाई की जाए;
- (b) अधिकारिता वाले प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्दिष्ट समय अवधि के अंदर मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुपालन वाली भवन के स्वामी द्वारा भवन परमिट, पूर्णता प्रमाण-पत्र, भवन के अधिभोग प्रमाण-पत्र सहित पूरा होने के चरण पर ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात के निर्धारण और इन नियमों की व्याख्या या मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता एवं नियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी अन्य शिकायत की सुनवाई की जाए;
- (c) इस तरह के मुद्दे पर यथास्थिति या अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा कार्यान्वयन करने के लिए अधिकारिता के प्राधिकारी को सिफारिशें करें;

6. मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण संहिता के अनुपालन वाले भवन के निर्माण की प्रक्रिया (Procedure for Erection/Re-Erection of MP-ECBC Compliant Building):—

मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुसार भवन/भवन के समूह का निर्माण या पुन-निर्माण तीन चरणों में जैसे रूपांकन चरण, निर्माण चरण एवं निर्माण पश्चात् चरण; इन चरणों में क्रियान्वयन के दौरान आवेदक को निम्न लक्ष्य/प्राप्ति का प्रमुख ध्यान रखना आवश्यक होगा—

- नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक को नियुक्त करना
- अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा यूबीआईडी की प्राप्ति करना
- भवन निर्माण या पुनः निर्माण की समाप्ति पश्चात् संहिता अनुसार ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात को प्राप्त करना

इसके अतिरिक्त भवन स्वामी द्वारा संहिता को समझने की आवश्यकता है कि मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुपालन के लिए एक एकीकृत रूपांकन प्रक्रिया की आवश्यकता है। भवन स्वामी, विभिन्न विषयों में विशेषज्ञों के साथ रूपांकन टीम के साथ ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) नियुक्त करेगा और मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता या ऊर्जा दक्षता भवन डिजाइनिंग पर पूरी जानकारी ग्रहण करेगा। तीनों चरणों के अनुसार भवन/ भवन संकुल के लिए मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुपालन के लिए निर्माण/पुर्ननिर्माण के दौरान प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी नीचे दी गई है:-

रूपांकन चरण (Design Phase):-

- (1) प्रत्येक स्वामी, जो किसी भवन या भवन संकुल का निर्माण/पुर्ननिर्माण करना या इन नियमों के अधीन किसी भी भवन में बदलाव या कुछ नया निर्माण जोड़ने का आशय रखता है, तो संबंधित अधिकारिता के प्रधिकारी के पास प्रारूप-1 में इनके साथ एक आवेदक जमा करेगा—
 - (a) प्रारूप-1 में एक उपक्रम के साथ स्वामी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित सन्निर्माण दस्तावेज;
 - (b) सन्निर्माण दस्तावेज सुनिश्चित करेगा—
 - (i) प्रवृत्त में भवन उपनियम का अनुपालन;
 - (ii) भवन रूपांकन में भवन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात का अनुकूलन करने के लिए भवन के स्थल और विशिष्ट आवश्यकताओं की जलवायु परिस्थितियों के संबंध में ऊर्जा संरक्षण उपायों और सर्वोत्तम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को शामिल किया गया है;
 - (iii) जो कि सभी डेटा, भवन की विशेषताएँ विभिन्न निर्माण घटक और

प्रणालियों के अधीन पहचाने गए ऊर्जा संरक्षण उपायों को विस्तार से और उप-नियमों में निर्दिष्ट रीति से दिखाया गया है;

- (iv) योजना के आरेख, योजना के रंग, योजना के आयाम, योजना के पैमाने; लागू होने वाले उप-विधियों की अपेक्षाओं के अनुसार हो।
- (c) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के घटकों और प्रणालियों के निर्माण को अच्छादित करने वाले अनुपालन दस्तावेजों में शामिल है, जिसे पैनल में सूचीबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा निम्नलिखित मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता प्रमाणित किया गया है, अर्थात्
- (i) रूपांकन चरण पर प्रस्तावित भवन के संबंध में ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात रिपोर्ट;
- (ii) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के परिशिष्ट में निर्दिष्ट रूप में अनुपालन दस्तावेज प्रमाणित करते हुए नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) द्वारा प्रारूप-2 में प्रमाण-पत्र;
- (iii) पहचाने गए ऊर्जा संरक्षण उपायों के संबंध में जाँच की गई है या सत्यापित किया गया है; और
- (iv) प्रस्तावित भवन के सम्बन्ध में निर्माण कार्य आरम्भ करने से पहले सम्बंधित अधिकारिता के प्राधिकारी से निर्माण परमिट की माँग करने के लिए स्वामी द्वारा सम्यिक रूप हस्ताक्षर किए गए और "ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन बनाने/पुनः स्थापित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन" लिखित शीर्षक के साथ एक आवेदन।

नोट :- इस विषय के रूपांकन के तहत निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की अपेक्षा हो सकती।

- (2) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), रूपांकन चरण में निरीक्षण की निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेंगे, अर्थात्:-
- (a) इस संबंध में निर्माण दस्तावेज जैसे कि फर्श का क्षेत्रफल; खिड़की का क्षेत्रफल; दीवार का क्षेत्रफल; भवन की छत का क्षेत्रफल; भवन परियोजना के निर्मित क्षेत्रफल; की जाँच करना;
- (b) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन दस्तावेजों की जाँच करना और संहिता के परिशिष्ट-घ में निर्दिष्ट रूप में जाँच सूची और पहचान-
- (i) ऊर्जा संरक्षण के उपाय जो भवनो के प्रस्तावित रूपांकन पर लागू होते हैं;
- (ii) दीवारों और छतों में उष्मरोधक मात्राएँ, और समुच्चय के लिए निर्माण, सौर ताप गुणांक, खिड़की के समुच्चय क्षेत्र के लिए दृश्यमान प्रकाश संप्रेषण और तापीय संप्रेषण (U-कारक);
- (iii) वायु संचालन उपकरण, प्रशीतक उपकरण, संघनित्र उपकरण और वायु प्रवाह सारांश के लिए तापन संवातन और एयर कंडीशिंग घटक सारणियाँ; ताप, संवातन और वातानुकूलन उपस्कर की क्षमताएँ और नियंत्रण उपस्कर;
- (iv) प्रकाश उपस्कर की अनुसूचियों को दर्शाने की सारणियाँ; रूपांकन दस्तावेजों में विद्युत प्रकाश घनत्व गणना; प्रकाश नियंत्रण;
- (v) मोटर दक्षता और नियंत्रण;
- (vi) 'ब्यूरो' द्वारा अनुमोदित अनुरूप उपकरण का उपयोग करके प्रस्तावित भवन के लिए ऊर्जा मॉडल परिणामों के साथ मिलान करने के लिए दस्तावेज पुनर्विलोकन के निष्कर्ष;
- (vii) रूपांकन चरण में अनुमानित ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात की जाँच करें; उपरोक्त मदों को सत्यापित और प्रमाणित करें;

- (c) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के परिशिष्ट-घ में निर्दिष्ट जाँच सूची को भरें और सुधार सूची को निर्दिष्टन करें यदि भवन के प्रस्तावित रूपांकन के दस्तावेजों में अपर्याप्त जानकारी उपलब्ध है या ये नियमों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं और ये होंगे—
- (i) अधिकारिता के प्राधिकारी के लिए सूचना के अधीन भवन में मालिक हेतु प्रारूप-2 में अपने निष्कर्षों का संप्रेषण;
 - (ii) अपने निष्कर्षों को लागू करने के लिए प्रारूप-2 के अनुसार, स्वामी को निर्दिष्ट समय दें;
 - (iii) स्वयं समाधान करें कि निर्दिष्ट समय के अंदर स्वामी से प्राप्त सुझाव, निष्कर्षों को पूरा करें और कमियों को पूरा करते हुए प्रारूप-2 में भरें;
- (d) उसकी स्वीकृति अभिलेख करें और संहिता और इन नियमों के अनुपालन की जाँच सूची को पूरा करें, और अधिकारिता के प्राधिकारी और राज्य नामित अभिकरण से सूचना के अधीन स्वामी को प्रारूप-2 में अनुमोदन का प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ निर्माण दस्तावेजों जो विधिवत द्वारा स्वामी के हस्ताक्षर प्रस्तुत करेंगे;
- (3) अधिकारिता के प्राधिकारी से प्रस्तावित भवन के निर्माण के लिए परमिट के मुद्दे हेतु नियम-6(1) के अंतर्गत स्वामी से आवेदन प्राप्त करेंगे—
- (a) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) द्वारा अनुमोदन उपरांत प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2 में प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही रूपांकन और स्वीकृति निर्माण योजना को मंजूरी;
 - (b) सन्निर्माण कार्य को बनाने या पुर्ननिर्माण करने या निर्माण में सुधार करने या निर्माण कार्यों का पूरा करने के लिए उसमें परिवर्तन करने के लिए जारी परमिट इसके स्वीकृति-पत्र में निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:—

- (i) सन्निर्माण कार्य मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और इन नियमों के अधीन स्वीकृत योजना और अपेक्षा के अनुसार होगा;
 - (ii) निर्माण प्रगति के दौरान इन नियमों का अनुपालन प्राप्त किया जाए;
 - (iii) स्वामी को अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले भवन पर कब्जा नहीं किया जाए;
 - (iv) अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा स्वामी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद इन नियमों या संहिता के उपाबंधों के सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर, नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) से गैर-अनुपालन रिपोर्ट प्राप्ति करने पर या आवेदन में वास्तविक तथ्यों की किसी भी गलत बयानी के नोटिस पर परमिट रद्द किया जा सके;
- (c) भवन- योजना के अनुमोदन के पूर्व, स्वामी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी प्ररूपों (नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए) को मंजूरी देने से पहले राज्य नामित अभिकरण के साथ साझा करने की आवश्यकता है; उपरोक्त निर्दिष्ट दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या हार्डकॉपी रूप में राज्य नामित अभिकरण को प्रस्तुत की जाए;
- (d) अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा रूपांकन दस्तावेज पर अनुमोदन देने से पहले, विशिष्ट भवन पहचान संकेत (यूबीआईडी) उत्पन्न करना होगा एवं साथ-साथ उसकी प्रति स्वामी को अनुमोदित दस्तावेजों के साथ, राज्य नामित अभिकरण एवं सम्बन्धित विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करना होगा जो कि संलग्नक-घ के अनुसार होगा;
- (e) यदि किसी भवन का पुनर्विलोकन/पुर्ननिर्माण किया जाने वाला हो और वह मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता में दिए गए प्रयोज्यों के अंतर्गत शामिल हो तो इस प्रक्रिया को उपयोग में लाना होगा।

निर्माणकार्य चरण (Construction Phase):—

- (4) अधिकारिता के प्राधिकारी से निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करने पर स्वामी यह करेगा:—
- (a) प्रारूप-3 में भवन के सन्निर्माण कार्य को शुरू करने के अपने आशय का नोटिस देना;
 - (b) नियम-6(1)(b) के निबंधन में निर्माण दस्तावेजों में निहित ऊर्जा संरक्षण उपायों का सन्निर्माण करना;
 - (c) ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात के अनुकूल करने के लिए इस तरह के घटकों और प्रणालियों में सर्वोत्तम प्रथाओं को तैनात करके ऊर्जा के सबसे प्रभावी उपयोग के लिए सन्निर्माण दस्तावेजों में शामिल भवन घटकों और प्रणालियों के निर्माण में लचीलापन हो;
 - (d) नियम-6(1)(b) निर्दिष्ट ऐसे सन्निर्माण का कार्य करने से पहले, नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) से मंजूरी लेनी चाहिए यदि निर्माण किए जाने वाले प्रस्तावित घटक और प्रणालियाँ सन्निर्माण और अनुपालन दस्तावेज में शामिल किए गए हैं;
 - (e) जरूरत अनुसार नए स्थायी विद्युत संयोजन के लिए अभिप्रमाणित प्रतिलिपि "विशिष्ट भवन पहचान संकेत-प्रारूप" के साथ वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन प्रस्तुत करें; स्वामी यदि अस्थाई संयोजन चाहते हैं तो "विशिष्ट भवन पहचान संकेत-प्रारूप" को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुति करने की आवश्यकता नहीं होगी;
- (5) नियम-6(1) के अनुसार प्रस्तावित भवन के निर्माण कार्य की पर्यवेक्षण पावती, अधिकारिता के प्राधिकारी को मिलने पर—
- (a) यह सुनिश्चित करना कि स्वामी द्वारा प्रारूप-3 एवं प्रारूप-4 जो कि

नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्राप्त किए गए हो;

- (b) यदि प्रारूप-4 के अनुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का अनुपालन न होने पर मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति या राज्य नामित अभिकरण को तुरन्त सूचित किया जाए, ताकि निर्माण चरण के दौरान जरूरत अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके;
- (c) निर्माण चरण के दौरान मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुसार जमा किए गए सभी प्रारूपों को पाँच कार्य दिवसों के भीतर मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति या राज्य नामित अभिकरण के साथ साझा करना होगा; इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या हार्ड प्रति के द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है;
- (d) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) से गैर अनुपालन की स्थिति प्राप्त करने पर; इन नियमों में उल्लेखित स्वामी द्वारा साझा किए गए प्रारूप-4 के द्वारा। इन नियमों की तुलना में, अधिकारिता के प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जब तक सुधार प्रभावित नहीं हुआ है और अनुपालन का प्रमाण पत्र (प्रारूप-4) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) द्वारा जारी ना किया गया हो; जब तक निर्माण कार्य को रोकना आवश्यक होगा;
- (6) विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, स्वामी से नए-स्थायी या नवीकृत विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने पर, नीचे बताए गए मानकों की समीक्षा करें, तथा उनकी जाँच करें:—
- (a) नियम-6(3)(d) के अनुसार यूबीआईडी फॉर्म की एक प्रमाणित प्रतिलिपि को स्वामी से इकट्ठा करने की आवश्यकता है, और इसे अधिकारिता के प्राधिकारी से प्राप्त यूबीआईडी फॉर्म के साथ किया जाना चाहिए।

- (b) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुवर्ती किसी भी भवन के आवेदन के लिए अस्थायी कनेक्शन प्रदान करने के लिए किसी विशेष प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, खासकर मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुसार; यद्यपि अस्थायी कनेक्शन से स्थायी कनेक्शन के रूपांतरण पर मालिक से अनुरोध प्राप्त करने पर नियम-6(3)(d) के अनुसार आगे बढ़ना होगा।
- (7) सन्निर्माण चरण पर नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), नियम-6(2) में विनिर्दिष्ट मापदण्डों के विनिर्देशों की पुनर्विलोकन करेंगे, और,—
- (a) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के परिशिष्ट-घ में निर्दिष्ट जाँच सूची को भरें, टिप्पणियाँ प्रदान करें यदि भवन की प्रस्तावित रूपांकन निर्माण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है और संहिता इन नियमों और स्वीकृत योजना के अनुपालन में कमियों को निर्दिष्ट करता है और ये करेगा—
- (i) कमियाँ और निष्कर्ष स्वामी को संप्रेषित करना;
- (ii) निष्कर्षों को लागू करने के लिए स्वामी को निर्दिष्ट समय दे;
- (iii) स्वयं समाधान करें कि उसके बाद स्वामी से प्राप्त सुझाव के निर्दिष्ट को पूरा करेगा और कमियों को पूरा किया जाएगा;
- (b) स्वयं स्वीकृति अभिलेख करें और जाँच सूची को पूरा करें जो संहिता और इन नियमों का अनुपालन दर्शाता है, और अधिकारिता के प्राधिकारी को सूचना के सहित स्वामी को प्रारूप-4 अनुपालन-पत्र का प्रमाण जारी करना;
- (c) जहाँ यह किसी भी चरण पर आधारित किया जाता है कि निर्माण स्वीकृत योजना के अनुसार नहीं चल रहा है या मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और इन नियमों के किसी भी उपाबंधों का अतिक्रमण किया गया है, नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) स्वामी को सूचित करेंगे और

अनुरोध करेंगे कि प्रारूप-4 के अनुसार अपने निष्कर्षों के सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी के लिए या उनके द्वारा पहचानी गई कमियों को बताएँ;

- (d) यदि नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) स्वामी द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त जानकारी से संतुष्ट है, वह प्रारूप-4 में अनुपालन के प्रमाण-पत्र में इसे अभिलिखित करेगा और अधिकारिता के प्राधिकारी को सूचना के सहित स्वामी को सूचित करेगा;
- (e) यदि नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) स्वामी द्वारा जमा की गई अतिरिक्त जानकारी से सहमत नहीं होता है तो वह अधिकारिता के प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगे के निर्माण को स्थगन कर दिया गया है जब तक कि सुधार नहीं किया जाता और इसका अनुपालन प्रमाण नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा जारी किया गया है;

निर्माण पश्चात् चरण (Post-Construction Phase):—

- (8) प्रत्येक स्वामी भवन के पूरा होने की सूचना को कार्य के पूरा होने पर अधिकारिता के प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसमें मंजूर किए परमिट में निर्दिष्ट ऊर्जा संरक्षण उपायों के साथ-साथ प्रारूप-5 में प्रमाण-पत्र के साथ जारी किए गए कार्यों सहित नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) स्वामी द्वारा अनुपालन करने के लिए प्रमाणित किया जाएगा—
 - (a) अधिभोग चरण के दौरान नियम-6(2) के अनुसार प्रारूप-4 के साथ-साथ नियम में दी गई सूचीयों का अनुपालन निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाना आवश्यक है—
 - (i) ताप, संवातन और वातानुकूलन तालिकाओं का पुनर्विलोकन; वायु संचालन उपकरण, प्रशीतन उपकरण, संघनक उपकरण; प्रकाश उपकरण विशिष्टियाँ दर्शाने वाली तालिकाओं और मोटर विशिष्टियों

को प्रदर्शित करने वाली सारणियों को पुर्नविलोकन;

- (ii) रोशनी के उपकरण जैसे लैम्पों, बालास्ट के निरीक्षण द्वारा फिक्स्चर की वॉट क्षमता की पुष्टि और निरीक्षण में प्रकाश पावर घनत्व को निर्धारित करने के लिए भवन में उपयोग के प्रकार के अनुसार कम से कम यादृच्छिक जाँच शामिल होगी;
 - (iii) आवश्यक प्रकाश नियंत्रक का पुर्नविलोकन करना, जैसे पुस्तिका स्विच ऑफ पेरीमीटर, दिन के प्रकाश सर्किट, स्वचालित अधिभोग आधारित नियंत्रक, फाटो सेंसर नियंत्रक और स्वचालित टाईमर आधारित नियंत्रक;
 - (iv) स्थापित ऊष्मित, संवातन और वातानुकूलन उपकरण और नियंत्रक उपकरण के निष्पादन मूल्यों के गुणांक का पुर्नविलोकन;
 - (v) स्थापित मोटर और नियंत्रक की दक्षता का पुर्नविलोकन;
 - (vi) विद्युत कारक और बिजली वितरण नुकसान का पुर्नविलोकन;
 - (vii) आवश्यक जाँच मीटरिंग और निगरानी प्रणाली का पुर्नविलोकन।
- (b) प्रस्तावित रूपांकन में ऊर्जा संबंधी भवन की सुविधाओं की सूची, यदि कोई हो, जो स्वीकृत या मानव आधारभूत रूपांकन से भिन्न होती है;
- (c) भवन के उष्मरोधक, गवाक्षिकरण, हीटिंग, संवातन और वातानुकूलन, लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, वॉटर हीटिंग प्रणाली सभी ऊर्जा संरक्षण उपायों के संबंध में किए गए निर्माण के समर्थन में सभी दस्तावेज और चालान।
- (9) भवन स्वीकृति योजना अनुसार पूरा होने पर ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात एक से कम या बराबर है, तो इसे संहिता और इन नियमों का पालन करना समझा जाएगा।

- (10) यदि उर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात में कोई विचलन आता है तो यदि भवन के स्वीकृत योजना के अनुसार मानक भवन की तुलना में उर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात एक से ज्यादा होता है तो नामिकाबद्ध उर्जा लेखा परिक्षक प्रारूप-4 में इसे दर्ज करेगा और इस बारे में भवन स्वामी से संवाद करेगा और अतिरिक्त उर्जा संरक्षण के उपायों का समावेश करके अनुपालन को प्राप्त करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित भवन इस नियम का अनुपालन करे, नामिकाबद्ध उर्जा लेखा परिक्षक भवन स्वामी को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- (11) जब तक अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा इस भवन या इसके हिस्से को उप-नियमों के अनुसार अधिभोग प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता, तब तक स्वामी न तो भवन या भवन संकुल का उपयोग कर सकेगा और न ही किसी भी व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन भवन या भवन संकुल के हिस्से का उपयोग करने की अनुज्ञा देगा।
- (12) स्वामी भवन के पूरा होने का नोटिस देगा और अधिभोग के लिए अनुज्ञा प्राप्त करेगा।
- (13) अधिकारिता के प्राधिकारी को स्वामी द्वारा सूचना मिलने पर जो कि नामिकाबद्ध उर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के द्वारा अनुमोदित प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न हो, तो अधिभोग प्रमाण-पत्र को प्रारूप-5 के साथ जारी कर सकता है जो कि निम्नलिखित स्थितियों को भी दर्शाएँगा—
- (i) भवन के उर्जा निष्पादन की निगरानी और सत्यापन सम्बन्धित राज्य की उर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी;
 - (ii) स्वामी नामिकाबद्ध उर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा भवन के पूरी तरह से चालू होने के बाद लगातार दो वर्षों तक ब्यूरो को सूचना के अधीन परिशिष्ट-3 के अनुसार एक उर्जा निष्पादन सूचकांक रिपोर्ट, नामिकाबद्ध उर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के माध्यम से राज्य नामित अभिकरण को प्रस्तुत करेगा;

- (14) अतिरिक्त तौर पर भवन के संचालन होने तक, राज्य नामित अभिकरण द्वारा इसकी ऊर्जा प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी, रूपांकन चरण के अंत में अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई प्रासंगिक विशिष्ट भवन पहचान संकेत के लिए वितरण लाइसेंस धारी से संबंधित विवरण एकत्र करने के लिए उत्तरदायी होगा; जबकि बहुकिरायेदारों के मामले में मालिकों या एकाधिक, इन नियमों की नियम-8(10) या नियम-11(4) के अनुसार ऊर्जा की खपत निगरानी का पता लगाया जाएगा जो कि परिशिष्ट-3 के अनुसार अभिलेख होगा;
- (15) यदि भवन का ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात एक से अधिक है, तो अधिकारिता के प्राधिकारी एक अस्थायी अधिभोग प्रमाण-पत्र इस शर्त के अधीन जारी कर सकता है कि स्वामी मंजूर की गई योजना या परमिट में भवन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात अर्जित करने के लिए मंजूरी के तीन वर्ष की अवधि के अंदर भवन के ऊर्जा परीक्षण के लिए अतिरिक्त ऊर्जा संरक्षण उपायों की पहचान करने के लिए भवन का ऊर्जा परीक्षण कराएगा;
- (16) यदि स्वामी, एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-3 में विनिर्दिष्ट ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात को प्राप्त करने में विफल रहता है तो भवन के अधिग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अंदर राज्य नामित अभिकरण, मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति के समक्ष मामला रखेगा, जो, स्वामी और नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की सुनवाई करेगा और इसके अनुसार मामले सिफारिशें करेगी, और स्वामी इस तरह की अनुशंसाओं का पालन करेगा।
- (17) राज्य नामित अभिकरण, मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति या स्वयं, नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की सहायता से भवनो के ऊर्जा अंकेक्षण का संचालन करेगा। यादृच्छिक जाँच के लिए विधि तैयार की जाएगी और सार्वजनिक रूप से साझा की जाएगी;
- (18) अगर कोई गलत सूचना या अप्रियत पाया जाता है, तो उसे मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुरूप मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति को सूचित किया जाएगा जो आगे की कार्यवाही करेंगे।

- (19) यह प्रक्रिया तब तक बार-बार दोहराई जाएगी जब तक कि भवन का ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात एक से कम या एक के बराबर नहीं हो जाता। और नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के परिशिष्ट-घ में निर्दिष्ट अनुसार प्रत्येक चरण में मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और इन नियमों के अनुरूप विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों में, रूपांकन, निर्माण और पूरा करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए अनुपालन दस्तावेजों को भरेंगे और जमा करेंगे।

7 समीक्षा के अधिकार (Right of Appeal):-

- (1) इन नियमों के उपाबंधों के अधीन स्वामी/नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति के पास किसी भी शिकायत के निवारण के लिए सम्पर्क कर सकता है:-
- (a) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति राज्य नामित प्राधिकरण/अधिकारिता के प्राधिकारी के साथ, स्वामी या नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा शिकायतो की सुनवाई उपरान्त शिकायतो के निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु जिम्मेदार होगी। जिसकी सूचना मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति को भी दी जाएगी।
- (b) राज्य नामित प्राधिकरण के मध्यप्रदेश साथ ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति, अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा भवन अनुज्ञा-पत्र के निरस्तीकरण या भवन के समापन अथवा अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी करने के विरुद्ध, किसी भवन के स्वामी द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका की सुनवाई 45 दिन के भीतर निम्न प्रकरणों में करेगा, अर्थात्:
- (i) किसी विवाद के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों की व्याख्या के

बारे में;

- (ii) स्वीकृत रेखांक में अनुमोदित ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात के गैर-अनुपालन के कारण समापन या अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने पर;
 - (iii) इन नियमों के अंतर्गत किसी अतिरिक्त कारण से यदि कार्य समापन होने की स्थिति में ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात का अनुपालन न होने पर;
 - (iv) इन नियमों के अंतर्गत शामिल किया गया अन्य कोई विषय जिसके कारण ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात की प्राप्ति समापन स्तर पर नहीं की जा सकी है;
- (2) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन कार्यान्वयन समिति या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन कार्यान्वयन समिति से पहले एक अपील कर सकता है, जिस पर मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन कार्यान्वयन समिति द्वारा दिए गए आदेश की एक प्रति व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है।
- (3) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति द्वारा पारित किया गया निर्णय अथवा आदेश पूर्ण रूप से अंतिम होंगे।

8. स्वामी की जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य (ROLE AND RESPONSIBILITIES OF OWNER):-

- (1) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुपालन वाले भवन के स्वामी को मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता की आवश्यकताओं और इन नियमों के अनुसार भवन का निर्माण कराना होगा।
- (2) प्रत्येक स्वामी को –
 - (1) इन नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने और निम्नानुसार सुनिश्चित

करने के लिए भवन निर्माण रूपांकन, ऊर्जा संरक्षण उपायों और उपकरणों की स्थापना के लिए पैनल में तैनात नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) को, अर्थात्:—

- (a) भवन, बजट और समय की बाधाओं की जटिलता के आधार पर अपनी भवन परियोजना के लिए अनुपालन विधि को अंतिम रूप देना;
- (b) प्रस्तावित भवन में ऊर्जा संरक्षण उपायों को इन नियमों के अनुरूप उपयोग करना;
- (c) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार भवन रूपांकन में ऊर्जा संरक्षण उपायों को एकीकृत करना;
- (d) आरेख, विशिष्टियों और अनुपालन प्रारूप तैयार है और ऊर्जा संरक्षण उपायों को भवन रूपांकन के दस्तावेजों में प्रतिबिम्बित किया गया है, और अधिकारिता के प्राधिकारी को नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रस्तुत किया गया है, और इसके साथ नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात को एक प्रमाण-पत्र द्वारा निर्दिष्ट कराना होगा कि दस्तावेज इन नियमों की आवश्यकता के अनुसार है;
- (e) यह सुनिश्चित करना कि निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य शुरू करने के पहले, स्वीकृति की वैधता के अनुरूप, अधिकारिता के प्राधिकारी को नोटिस भेजा गया है;
- (f) नोटिस की तारीख से, अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर काम आरम्भ करना, या जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए अधिक समय की अनुमति लेना;
- (g) यह सुनिश्चित करना कि भवन के निर्माण और उसके घटकों और प्रणालियों की स्थापना में रूपांकन किए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय

अपनाए गए हैं।

- (2) अधिनियम के अधीन नियमों और विनियमों के साथ निर्माण कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण के प्रयोजन के लिए किसी भी उचित समय पर भवन या परिसर में प्रवेश करने के लिए नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) को अनुज्ञा दें;
- (3) अधिकारिता के प्राधिकारी को लिखित सूचना देना, जिसमें नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) से एक प्रमाण-पत्र के साथ निर्माण कार्य को पूरा करने के बारे में सूचित किया जाता है कि—
 - (a) भवन का निर्माण भवन परमिट की मंजूरी के अनुसार किया गया है;
 - (b) सभी ऊर्जा संरक्षण उपायों को स्थापित कर निरीक्षण किया गया है, और वे मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और इन नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं;
 - (c) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के प्रावधान और ये नियम भवन की रूपांकन को पूरा करते हैं;
- (4) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की सेवाओं की समाप्ति और इनके स्थान पर अन्य किसी नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की नियुक्ति के मामले में अधिकारिता के प्राधिकारी और राज्य नामित अभिकरण को लिखित सूचना देनी चाहिए;
- (5) भवन के पूर्ण निर्माण होने के पश्चात, उसके किसी हिस्से का उपयोग करने से पहले अधिकारिता के प्राधिकारी से एक अधिग्रहण का परमिट प्राप्त करना;
- (6) इन नियमों के उपाबंधों को पूरा करने में नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), यदि कोई हो, के पास व्यावहारिक कठिनाइयों की रिपोर्ट करें, जो

राज्य नामित अभिकरण और मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति के परामर्श में आवश्यक कार्यवाही करेगा;

- (7) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति या अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा नोटिस की प्राप्ति होने पर, यदि कोई हो, तो, नोटिस में दिए गए निर्देशानुसार उचित समय के भीतर भवन का उपयोग बंद कर देना होगा, और किसी भी किसी भी तरह से इन नियमों के उपबंधों की उपेक्षा नहीं करेगा;
- (8) जहाँ वह प्रणाली, सामग्री या उपकरण के विपरीत भवन की ऊर्जा दक्षता में सुधार के कारण किसी भी प्रणाली या सामग्री या उपकरणों की स्थापना को बदलने का प्रस्ताव करता है, जैसा कि स्वीकृति योजना में बताया गया है, वह नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसी प्रणाली या सामग्री या उपकरण का इस्ते माल करेगा या स्थापित करेगा;
- (9) यदि कोई भवन/भवन-संकुल नियम-3 के प्रयोज्यताओं के अंतर्गत आता है, और एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2.5(g) के अनुसार मिश्रित-उपयोग के रूप में किया जाता है तब भवन के लिए ऊर्जा खपत का अनुश्रवण नियम-11(3) के अनुसार की जाना होगा जबकि मासिक ऊर्जा खपत का प्रत्येक किरायेदार(ओं) के लिए अलग से अनुश्रवण करना होगा, जिसके लिए स्वामी को –
 - (a) ऊर्जा खपत के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक किरायेदार(ओं) के लिए उप-मापयंत्र प्रदान करना होगा;
 - (b) मासिक ऊर्जा खपत को उप-मापयंत्र के माध्यम से अनुश्रवण कर अभिलेख करना होगा;
 - (c) बहुसंख्यक किरायेदारों की मासिक ऊर्जा खपत के प्रलेख का संधारण करना होगा जो कि निम्नानुसार होगा—

- (i) बहुसंख्यक किरायेदार पहचान संकेत को विशिष्ट भवन पहचान (यूबीआईडी) के बाद Mn/(k) के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात् (UBID-Mn/(k)); जहाँ Mn = M1, M2, M3 & M4,... भवन में संभावित किरायेदार का सरल क्रमांक है, तथा K = मापयंत्र क्रमांक है जिसे प्रत्येक किरायेदार को आबंटित किया जाएगा;
- (d) इसके अतिरिक्त, भवन स्वामी को पट्टाविलेख में प्रत्येक किरायेदारों के लिए उप-मापयंत्र एवं ऊर्जा खपत का विश्लेषण करना होगा;
- (e) जब कभी भी संलग्नक-3 में उल्लेखित प्रपत्र के अनुसार आवश्यक हो, प्रत्येक किरायेदार की विद्युत खपत के खोज विलेख (Tracked Record) को राज्य नामित अभिकरण या मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति को प्रस्तुत करना/साझा करना होगा (यह व्यवस्था भवन का उपयोग करने वाले बहु-किरायेदारों के संबंध में की जाएगी) इसका विस्तृत व्याख्यान हेतु निम्न प्रक्रिया के अनुसार संदर्भित है:-
- (i) कोई भी भवन जिसे बहुसंख्या में किरायेदारों द्वारा उपयोग में लाया जाना अपेक्षित हो, के स्वामी को अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा भवन रेखांको के अनुमोदन के साथ विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID) (XXXX/ECBC) प्रदान किया जाएगा;
- (ii) जब बहुसंख्यक किरायेदार उपमापयंत्र संयोजन की माँग करेंगे तो भवन स्वामी विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID) के प्रत्यय Mn/(k) को इसमें जोड़ देगा जिसे प्रत्येक किरायेदार के लिए (UBID-Mn/Meter no.) अंकित किया जा सकता है;
- विद्युत खपत का अनुश्रवण सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग

उपकरण (नियमित अनुश्रवण या मापन हेतु) द्वारा प्रारंभ से लेकर अंत तक किया जा सकता है; या

- यदि इसे हस्तचालित व्यवस्था द्वारा किया जाता है तो उसे खपत के विवरण संकलित करते समय प्रत्येक उप-मापयंत्र के छायाचित्र (फोटो) का अभिग्रहण मय किरायेदार हस्ताक्षर के करना होगा (यहाँ उसे यह भी निश्चित करना होगा कि प्रत्येक मापयंत्र (मीटर) जिसकी विद्युत खपत नोट की गई है उसका छायाचित्र में अंकित वाचन से मिलान हो);

परन्तु यह इन नियमों के प्रावधानों की भावना और आशय का अतिक्रमण न करता हो; तथापि इस तरह के परिवर्तन से भवन की आवश्यकताओं के साथ समझौता नहीं किया जाएगा जैसे इन नियमों के अधीन आने वाली भवनो पर लागू केंद्रीय विधि (कानून) और राज्य विधि (कानून) के संरचनात्मक स्थिरता, सुरक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण के प्रावधान।

9. नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की भूमिका, जिम्मादारियाँ और कर्तव्य (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF EEA-(BUILDING))–

नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), जिनकी सेवाएँ स्वामी द्वारा नियुक्त की गई हैं–

(1) यह सत्यापित और प्रमाणित करेंगे–

- (a) रूपांकन मानदंड, परियोजना के ऊर्जा लक्ष्यों, ऊर्जा प्रणालियों के निष्पादन सत्यापन योजना और मॉडलिंग विधि को ध्यान में रखते हुए भवन का रूपांकन;
- (b) विचाराधीन परियोजना के लिए रूपांकन विधि के आधार पर ऊर्जा संरक्षण उपाय;

- (c) निर्माण दस्तावेज और अनुपालन दस्तावेज, अनुपालन प्रारूप और जाँच सूची, जो यह सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट हैं कि मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और इन नियमों का अनुपालन किया जाता है;
- (d) प्रस्तावित भवन का ऊर्जा निष्पादित सूचकांक अनुपात;
- (2) अपने मुहर के अधीन एक प्रमाण-पत्र और अधिकृत हस्ताक्षर को इस आशय के अनुसार प्रस्तुत करें कि रेखाचित्र, विनिर्देशों, निर्माण दस्तावेजों, अनुपालन दस्तावेजों और प्रारूप आवरण, आराम प्राणाली और नियंत्रक, प्रकाश व्यवस्था और विद्युत पावर प्राणालियों, जहाँ कहीं भी लागू हो, और अन्य, मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता एवं इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के अधिकारिता के प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए गए संबंधित दस्तावेज;
- (3) भवन निर्माण कार्यो से इन नियमों के अधीन अपने प्रयोगों सहित भवनों के चालू अवस्था और उनके प्रमाण के आधार पर निरीक्षण करना, अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा भवन परमिट जारी किया जाएगा, भवन निर्माण, निर्माण पूर्णता और अधिभोग प्रमाण-पत्रों को मंजूरी दी जाएगी;
- (4) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन काम कर रहे कर्मचारियों में से कोई भी, इन नियमों के अधीन, संबंधित भवन के निर्माण/पुर्ननिर्माण में किसी तरह से प्रवृत्त नहीं है; ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अधिकारिता के प्राधिकारी के हितों के साथ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के साथ हितों में कोई विवाद नहीं है;
- (5) भवन परमिट या भवन निर्माण या अधिभोग चरण के दौरान जारी होने के कारण उठने वाले ऐसे असामान्य तकनीकी मुद्दों पर राज्य नामित अभिकरण को रिपोर्ट करना;
- (6) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और इन नियमों के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय और, राज्य और, मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति को निर्विष्ट्याँ प्रदान करना;

(7) संहिता में निर्दिष्ट मानदण्डों और मानकों को बढ़ावा देना;

10. राज्य नामित अभिकरण के उत्तरदायित्वों और कर्तव्य; (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF STATE DESIGNATED AGENCY)–

अधिनियम की धारा 15 की धारा (घ) के अधीन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य नामित अभिकरण, ब्यूरो के परामर्श से;

- (1) राज्य के अधिनियम अधीन ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए संहिता और इन नियमों के उपाबंधों का समन्वय, विनियमन और लागू करेगा;
- (2) वाणिज्यिक भवन या प्रतिष्ठान को एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2 (सीमा क्षेत्र) में परिभाषित, संयोजित भार अथवा संविदा माँग के आँकड़ों के बराबर या अधिक होने पर, इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा;
- (3) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के कार्य कौशल की निगरानी करना ताकि इनके गुणवत्ता, स्थिरता और इन नियमों के अनुपालन की दर में सुधार हो जो कि राज्य में निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी साबित हो;
- (4) संहिता में शिकायतों की अनुपालन दर को मापने के लिए राज्य में एक डेटा बैंक बनाना और इन नियमों के अनुपालन के परिणामस्वरूप ऊर्जा बचत के लिए सही तरीके से हिसाब रखना;
- (5) राज्य में प्रत्येक श्रेणी के लिए गर्म और शुष्क, मिश्रित और अलग-अलग क्षेत्रों के अधीन भवन के क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा उपयोग एक डेटा बैंक बनाना;
- (6) अपने राज्य में विभिन्न श्रेणियों की भवनो के निर्माण में इन नियमों का अनुपालन करने के लिए ऊर्जा ब्यूरो सूचकांक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाना और विभिन्न प्रकार की भवनो के निर्माण के संबंध में ऊर्जा की खपत मानदंडों और मानकों के निर्माण के लिए ब्यूरो को अपनी सिफारिशें भेजना;

- (7) राज्य में नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा रिपोर्टिंग की सटीकता को निर्धारित करने के लिए यदि आवश्यक हो, तो भवन निरीक्षण की व्यवस्था करना या अन्य सलाहकार के द्वारा करवाना ;
- (8) नियम-3(b) की आवश्यकताओं के अनुसार जाँचों के लिए भवन निरीक्षण का संचालन करना होगा, एवं स्वामी द्वारा प्राप्त किए गए घोषणा पत्र पर मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुमोदन साझा करवाए;
- (9) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के कार्य कौशल का ब्यौरा, इन नियमानुसार परियोजनाओं की सूची, इन नियमों के अनुपालन का अतिक्रमण करने वाली परियोजनाओं की सूची तथा इसके स्तर का ब्यौरा, एवं इन सभी का सारांश प्रतिवर्ष ब्यूरो संघ साझा करना होगा।
- (10) संहिता और इन नियमों के अनुपालन के भवनों के निर्माण के उद्देश्य के लिए इन नियमों के उपाबंधों को शामिल करने के लिए अधिकारिता के प्राधिकारी के साथ समन्वय बनाना;
- (11) इन नियमों के अनुपालन में भवनों की ऊर्जा निष्पादन सूचकांक में सुधार के लिए ऊर्जा संरक्षण उपायों और अधिग्रहण सहित रूपांकन निर्माण से सम्बन्धित मामलों में इन नियमों के उपाबंधों के अनुरूप अधिकारिता के प्राधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करना;
- (12) इन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत नियामक आयोग को तकनीकी सहायता प्रदान करना, विशेष रूप से एमपी-ईसीबीसी के अनुरूप भवनों और अनुपालन में प्रभावशीलता के ऊर्जा प्रदर्शन में सुधार के लिए भवन की ऊर्जा खपत की निगरानी और परिसंचरण करना;
- (13) नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) के राज्य स्तरीय परीक्षा प्रमाणन के सञ्चालन के लिए बीईई से समन्वय स्थापित करना या सुविधा देना एवं नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) का राज्य में सशक्तिकरण का सञ्चालन

करना;

(14) राज्य सरकार के साथ निम्न पहलुओं को सुनिश्चित करने हेतु पारस्परिक क्रिया करेगा ताकि—

- (1) इन नियमों को राज्य नगरपालिक प्राधिकरण या विकास अभिकरण या अन्य नगरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय जो राज्य में भवन निर्माण गतिविधियों से संबद्ध हैं, के भवन निर्माण उपनियमों का भाग बनया जाए; तथा
- (2) इन नियमों के प्रवर्तन में इन नियमों के उल्लंघन अथवा गैर-अनुपालन के प्रकरण में भवन स्वामी द्वारा लागू आबंधों का अनुपालन न करने पर अर्थदण्ड आरोपित किए जायेंगे;

11. विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF DISTRIBUTION LICENSEE)—

ईसीबीसी अनुरूप भवन के स्वामी को स्थायी विद्युत संयोजन (नया/नवीनीकरण) देने के लिए जिम्मेदार विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यह सुनिश्चित करेगा

- (1) विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी जो किसी संहिता अनुपालक भवन को स्थाई विद्युत संयोजन की स्वीकृति के बारे में उत्तरदायी है, यह सुनिश्चित करेगा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी नियम-3 (प्रयोज्यताएँ) के अनुसार पात्रता रखने वाले भवन स्वामी को स्थायी विद्युत संयोजन जारी (स्वीकृत) करने से पूर्व भवन स्वामी द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID-Code) का मिलान, अधिकारिता के प्राधिकारी के अभिलेख में अंकित विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID-Code) से करें;

एवं

नियम-3 (प्रयोज्यताएँ) के अनुसार पात्रता रखने वाले भवन स्वामी को स्थायी विद्युत संयोजन में परिवर्तन की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा की भवन स्वामी द्वारा प्रस्तुत आवेदन (विद्युत संयोजन हेतु) के साथ, नियम-3(b) के

अनुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित 'स्वामी का घोषणापत्र' संलग्न हो;

- (2) भवन/भवन-परिसर के लिए जो आंशिक रूप से आवासीय संघ वाणिज्यिक, आवासीय संघ अस्पताल, उद्योग वाणिज्यिक, और अन्य के रूप में वर्गीकृत हैं तब भवन के क्षेत्र/स्थान का वर्गीकरण नियम-3 के अनुसार होने पर, ऊर्जा खपत का अनुश्रवण नियम-11(4) के अनुसार करना होगा
- (3) परिशिष्ट -3 में निर्दिष्ट अनुसार भवन/भवन-परिसर के उपभोक्ताओं के ऊर्जा खपत के आँकड़े नियमित रूप से राज्य नामित अभिकरण के साथ साँझा करें;
- (4) यदि कोई भवन/भवन-परिसर नियम-3 के प्रयोज्यताओं के अंतर्गत आता हो, और एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2.5(g) के अनुसार मिश्रित-उपयोग के रूप में किया जाता हो; तब भवन के लिए ऊर्जा खपत का अनुश्रवण नियम-11(3) के अनुसार किया जाना चाहिए; जबकि मासिक ऊर्जा खपत का प्रत्येक स्वामी(ओं) के लिए अलग से अनुश्रवण करना होगा, जिसके लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी को –
 - 1) प्रत्येक स्वामी द्वारा ऊर्जा खपत का अनुश्रवण करना होगा;
 - 2) भवन का मासिक ऊर्जा खपत को मापयंत्र के माध्यम से अनुश्रवण कर अभिलेख करना होगा;
 - 3) बहुसंख्यक स्वामी(ओं) की मासिक ऊर्जा खपत के प्रलेख का संधारण करना होगा जो कि बहुसंख्यक स्वामी पहचान संकेत को विशिष्ट भवन पहचान (यूबीआईडी) के बाद Mn/(k) के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात् (UBID-Mn/(k)); जहाँ Mn = M1, M2, M3 & M4,... भवन में संभावित स्वामी(ओं) का सरल क्रमांक है, तथा K = मापयंत्र क्रमांक है जिसे प्रत्येक स्वामी(ओं) को आबंटित किया जाना होगा ;
 - 4) परिशिष्ट -3 में उल्लेखित प्रपत्र के अनुसार, प्रत्येक स्वामी द्वारा ऊर्जा खपत के खोज विलेख (Tracked Record) को राज्य नामित

अभिकरण या मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति को प्रस्तुत करना/साझा करना होगा (यह व्यवस्था भवन का उपयोग करने वाले बहु-किरायेदारों के संबंध में की जाएगी) इसकी विस्तृत व्याख्यान हेतु निम्न प्रक्रिया द्वारा संदर्भित की है:-

- (a) कोई भी भवन जिसे बहुसंख्या स्वामी(ओं) द्वारा उपयोग में लाया जाना अपेक्षित हो, के स्वामी(ओं) को अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा भवन रेखांको के अनुमोदन के साथ विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID) (XXXX/ECBC) प्रदान किया जाएगा;
 - (b) जब बहुसंख्यक स्वामी स्थायी विद्युत संयोजन की माँग करेंगे तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID) के प्रत्यय $M_n/(k)$ को विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID) के साथ जोड़ देगा, जिसे (UBID- $M_n/(k)$) के रूप में प्रत्येक भवन स्वामी के लिये अंकित किया जाना होगा;
- (5) यदि किसी भवन/भवन-संकुल को इन नियमों का पालन करने की आवश्यकता हो, एवं किरायेदारों की ऊर्जा खपत स्वामी के आधिपत्य में हो, तो विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी नियम-11(3) के अनुसार केवल पूरे भवन के लिए ऊर्जा खपत का विवरण प्रदान करेगा।

12. अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF AUTHORITY HAVING JURISDICTION) –

- (1) यह सुनिश्चित करना कि विद्यमान भवन रूपांकन अनुमोदन प्रक्रिया में, भवन या भवन संकुल के निर्माण/पुर्ननिर्माण, इन नियमों को अधिसूचना के पश्चात इसकी आवश्यकताओं को समाहित किया गया है;

- (2) यह सुनिश्चित करना कि मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के तहत हर भवन या भवन संकुल के अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट भवन पहचान संकेत (जैसे- 'ईसीबीसी') को प्रत्यय के रूप में जोड़ा जाए, जैसे की (XXXX/ईसीबीसी); तथा यह भी सुनिश्चित करें की नियम-6 के अनुसार सारे प्रारूप जमा होने के पश्चात, विशिष्ट भवन पहचान संकेत अनुमोदन उपरांत साझा किया जाए;
- (3) यह सुनिश्चित करना कि भवन रूपांकन अनुमोदन के पूर्व नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए सारे 'एमपी-ईसीबीसी प्रारूप' जमा किए गए हो;
- (4) यह सुनिश्चित करना कि नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा संहिता अनुपालक भवनों हेतु विभिन्न निर्माणक्रमों के दौरान अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हों;
- (5) निर्माणक्रम के दौरान नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा जारी किये गये गैर-अनुपालन प्रमाण पत्र प्रकरण में जब तक भवन स्वामी द्वारा दोष निवारक उपाय न कर लिये जाएँ, अधिकारिता के प्राधिकारी को निर्माण कार्य स्थगित रखने का अधिकार होगा;
- (6) जैसे ही मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता हेतु भवन रेखांकों के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया जाए, विशिष्ट भवन पहचान संकेत उत्पन्न करते ही राज्य नामित अभिकरण एवं विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर की एक-एक प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम या कागजी-प्रति के द्वारा, 5 कार्य दिवस में साझा की जाए;

13. प्रोत्साहन (INCENTIVE) :-

यदि कोई भवन एमपी-ईसीबीसी के साथ अनुपालन करता है, तो भवन स्वामी को ऊर्जा दक्षता निष्पादन स्तर के आधार पर प्रोत्साहन प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाएगा, जैसा

कि एमपी-ईसीबीसी के धारा(1) के खंड(2) के तहत उल्लिखित है; जबकि,

यदि किसी भवन की रूपांकन एवं निर्माण संहिता के नियमानुसार 'प्राकृतिक संवातित-भवन' या 'प्राकृतिक संवातित-आराम प्रणाली और नियंत्रण के मिश्रित भवन' के अनुरूप होता है, तो राज्य द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रदर्शन या अनुसंधान कार्य में वरीयता मिलना संभव होगा, तथा भविष्य में किए जाने वाले आर्थिक प्रयोजन में भी वरीयता का मिलना तय होगा।

14. विविध-

- (1) किसी भी ऊर्जा संरक्षण उपायों या विधि या रूपांकन या निर्माण का उपयोग, विशेष रूप से इन नियमों के तहत निर्दिष्ट नहीं है, अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा रोका नहीं जाएगा, अगर ऐसे ऊर्जा संरक्षण उपायों या विधि या रूपांकन या निर्माण एमपी-ईसीबीसी तकनीकी शिकायत निवारण समिति द्वारा संतोषजनक पाए जाते हैं; तथा ऐसे ऊर्जा संरक्षण उपायों या विधि या रूपांकन या निर्माण अपने अधिग्रहण पर ऊर्जा के उपयोग में ऊर्जा सूचकांक अनुपात का प्रदर्शन अनुकूलित करने में मालिक की सहायता करते हैं;
- (2) म.प्र.-ईसीबीसी की कम से कम पाँच वर्षों में समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, ताकि निर्दिष्ट मानकों के संशोधनों को निर्धारित करने के लिए, ब्यूरो की राय के अनुसार पुष्टि की जाएगी;
- (3) बशर्ते कि जहाँ भी ये नियम सुरक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण कोड, या ऊर्जा दक्षता के मानक और उपकरण या उपकरणों के लिए लेबलिंग और भवनो के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम के साथ संघर्ष में हैं और यदि वे आवश्यकता की तुलना में अधिक कड़े हैं, तो वे इन नियमों पर विजय प्राप्त करेंगे।

प्ररूप- I (FORM -I)

मप्र-ईसीबीसी अनुपालक भवन के प्रयोजन में नवीन भवन/भवन संकुल का निर्माण अथवा विद्यमान भवन/भवन संकुल का पुनर्निर्माण (परिवर्धन या परिवर्तन) हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी आवेदन

(APPLICATION FOR BUILDING PERMIT FOR ERECTION OF NEW BUILDING OR RE-ERECTION OF EXISTING BUILDING (ADDITION / ALTERATION) INTENDED TO HAVE COMPLIANCE WITH MP-ECBC)

दिनांक : / /

प्रति,

पदनाम
संस्था का नाम
पता

विषय: मप्र-ईसीबीसी अनुपालक भवन के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु आवेदन

स्थान का विवरण:

भूस्वामी का नाम:.....
आवेदन (सन्दर्भ) क्रमांक:.....
योजना:.....
शहर:.....
पिन कोड:.....

भवन प्रकार:.....
प्लॉट ब्लॉक क्रमांक:.....
गली:.....
जिला:.....
ब्लॉक क्रमांक:.....

महोदय,

मैं/हम अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा मप्र-ईसीबीसी अनुपालक भवन के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु अपना प्रयोजन प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं। मैंने/हमने नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक नियुक्त किया है जिनका नाम _____ एवं पंजीकरण क्रमांक (Registration No) _____ है।

निम्न प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं:

(i) स्वीकृत भवन निर्माण संबंधी दस्तावेज एवं जांच सूचियों (चेक लिस्ट) के साथ-साथ अनुपालन प्रपत्र सम्मिलित किया गया है, जैसा की मप्र-ईसीबीसी एवं मप्र-ईसीबीसी नियम में उल्लिखित हैं।

(ii) नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप-दो (FORM-II)।

मैं/हम मानते हैं की प्रस्तावित भवन, रूपांकन, भवन निर्माण एवं विभागीय दस्तावेजीकरण एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम के अनुसार है एवं मैं/हम उन प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है/हूँ। यदि मेरे द्वारा प्रदान किये गये तथ्यों में कोई भिन्नता आती है तो मैं/हम सम्बंधित प्रधिकारी को नुक्सान की क्षतिपूर्ति करूँगा/करेंगे।

भवदीय

भवन स्वामी का नाम

संगठन का नाम

(मुहर एवं हस्ताक्षर)

प्ररूप- II (FORM -II)

अनुपालन एव गैर-अनुपालन प्रमाण पत्र (Certificate of Compliance or Non Compliance)

(रूपांकन चरण)

दिनांक : / /

प्रति,

पदनाम
संस्था का नाम
पता

विषय: भवन/भवन संकुल हेतु अनुपालन का आश्वासन

स्थान का विवरण:

भूस्वामी का नाम:.....
आवेदन (सन्दर्भ) क्रमांक:.....
योजना:.....
शहर:.....
पिन कोड:.....

भवन प्रकार:.....
प्लॉट ब्लाक क्रमांक:.....
गली:.....
जिला:.....
ब्लाक क्रमांक:.....

महोदय,

मैं _____, पंजीकरण क्रमांक (Registration No) _____ अधोहस्ताक्षरकर्ता, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (52, वर्ष 2001) के अन्तर्गत नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) हूँ एवं मैं रूपांकन से लेकर अधिभोग तक एम.पी.ई.सी.बी.सी. अनुपालित भवन की जाँच एवं सत्यापन के लिए अधिकृत हूँ ।

रूपांकन चरण के दौरान मैंने एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम से सम्बंधित सभी जरूरी दस्तावेज का सूक्ष्म परिक्षण कर लिया है। मैं सुनिश्चित करता हूँ की जरूरी जाँच सूचियों, प्रारूपो एवं भवन निर्माण दस्तावेजो का सत्यापन कर लिया गया है एवं आगे की प्रकिया के लिए भवन स्वामी को सौप दिया गया है।

मैं सत्यापित करता हूँ की एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम की जरूरत के अनुसार पूर्वोक्त प्रस्तावित भवन/भवन संकुल से मुझे कोई आपत्ति नहीं है । स्वीकृत जाँच सूची, भवन निर्माण दस्तावेज परिशिष्ट (संख्या) के साथ संलग्न हैं।

अथवा

मैं सत्यापित करता हूँ की एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम की जरूरत के अनुसार पूर्वोक्त प्रस्तावित भवन/भवन संकुल से मुझे आपत्ति है। सम्बंधित जानकारियाँ फॉर्म 2 में संक्षिप्त है, स्वीकृत जाँच सूची भवन निर्माण दस्तावेज परिशिष्ट (संख्या) के साथ संलग्न हैं ।

(हस्ताक्षर)

नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) का नाम
पंजीकरण क्रमांक एवं सील

प्रतिलिपि : पदनाम, विभाग का नाम

प्ररूप- III (FORM -III)

मप्र-ईसीबीसी अनुपालक भवन/भवन संकुल के निर्माण/पुनर्निर्माण प्रारंभ करने हेतु सूचना
(NOTICE TO INITIATE ERECTION /REERECTION FOR PROPOSED MP-ECBC COMPLIANT
BUILDING/BUILDING COMPLEX)

दिनांक : / /

प्रति,

पदनाम
संस्था का नाम
पता

विषय: एम.पी.ई.सी.बी.सी. अनुपालित प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु

भवन/भवन संकुल का विवरण:

भूस्वामी का नाम:.....
आवेदन (सन्दर्भ) क्रमांक:.....
योजना:.....
शहर:.....
पिन कोड:.....

भवन प्रकार:.....
प्लॉट ब्लॉक क्रमांक:.....
गली:.....
जिला:.....
ब्लॉक क्रमांक:.....

महोदय,

मै/हम पूर्व में उल्लेखित भवन/भवन संकुल का भूस्वामी हूँ/है, परिशिष्ट..... में संलग्न नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) द्वारा हस्ताक्षरित भवन निर्माण दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ/है। पुनः मै/हम ,एम.पी.ई.सी.बी.सी. से सम्बंधित संलग्न दस्तावेज के लिए वचनबद्ध हूँ/है एवं यह सुनिश्चित करता हूँ/करते है की, भवन/भवन संकुल संलग्न दस्तावेज के आधार पर निर्मित होंगे। यदि कोई भी संलग्न जानकारी गलत पाई जाती है तो मै/हम अधिकारिता के प्रधिकारी को हानी की क्षतिपूर्ति करूँगा/करेंगे।

प्रस्तावित भवन/भवन संकुल हेतु मै/हम भवन निर्माण कार्य दिनांक_____ से प्रारंभ कर रहा हूँ/रहे है।
अतः इच्छित भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करे।

भवदीय

नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन)

पंजीकरण क्रमांक

(मुहर एवं हस्ताक्षर)

प्रतिलिपि : पदनाम, विभाग का नाम

प्ररूप— IV (FORM -IV)

अनुपालन/गैर-अनुपालन प्रमाण पत्र
(CERTIFICATE OF COMPLIANCE OR NON COMPLIANCE)

दिनांक : / /

प्रति,

पदनाम
संस्था का नाम
पता

विषय: एम.पी.ई.सी.बी.सी. अनुपालित/गैर- अनुपालित भवन/भवन संकुल हेतु प्रमाण पत्र

स्थान का विवरण:

भूस्वामी का नाम:.....
आवेदन (सन्दर्भ) क्रमांक:.....
योजना:.....
शहर:.....
पिन कोड:.....

भवन प्रकार:.....
प्लॉट ब्लॉक क्रमांक:.....
गली:.....
जिला:.....
ब्लॉक क्रमांक:.....

महोदय,

मैं _____, पंजीकरण क्रमांक (Registration No) _____ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (52, वर्ष 2001) के अन्तर्गत नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) हूँ एवं मैं रूपांकन से लेकर अधिभोग तक एम.पी.ई.सी. बी.सी. अनुपालित भवन की जाँच एवं सत्यापन के लिए अधिकृत हूँ ।

निर्माणकार्य/अधिभोग चरण के दौरान मैंने एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम से सम्बंधित सभी जरूरी दस्तावेज का सूक्ष्म परिक्षण कर लिया है। मैं सुनिश्चित करता हूँ की जरूरी जाँच सूचियों, प्रारूपों एवं भवन निर्माण दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया गया है एवं आगे की प्रक्रिया के लिए भवन स्वामी को सौंप दिया गया है।

मैं सत्यापित करता हूँ की एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम की जरूरत के अनुसार पूर्वोक्त प्रस्तावित भवन/भवन संकुल में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । स्वीकृत जाँच सूची, भवन निर्माण दस्तावेज परिशिष्ट (संख्या) के साथ संलग्न हैं ।

अथवा

मैं सत्यापित करता हूँ की एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम की जरूरत के अनुसार पूर्वोक्त प्रस्तावित भवन/भवन संकुल से मुझे कोई आपत्ति नहीं है । सम्बंधित जानकारियाँ फॉर्म 2 में संक्षिप्त है । स्वीकृत जाँच सूची भवन निर्माण दस्तावेज परिशिष्ट (संख्या) के साथ संलग्न हैं ।

(हस्ताक्षर)

नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) का नाम
(मुहर एवं हस्ताक्षर)

प्रतिलिपि : पदनाम, विभाग का नाम

प्ररूप- V (FORM -V)

कार्य पूर्ण होने की सूचना

(NOTICE FOR WORK COMPLETION)

दिनांक : / /

प्रति,

पदनाम
संस्था का नाम
पता

विषय: एम.पी.ई.सी.बी.सी. अनुपालित भवन/भवन संकुल के निर्माण /पुनर्निर्माण के पूर्ण होने का आश्वासन

स्थान का विवरण:

भूस्वामी का नाम:.....
आवेदन (सन्दर्भ) क्रमांक:.....
योजना:.....
शहर:.....
पिन कोड:.....

भवन प्रकार:.....
प्लॉट ब्लॉक क्रमांक:.....
गली:.....
जिला:.....
ब्लॉक क्रमांक:.....

महोदय,

मैं _____, पंजीकरण क्रमांक (Registration No) _____ अधोहस्ताक्षरकर्ता, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (52, वर्ष 2001) के अन्तर्गत नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) हूँ एवं मैं रूपांकन से लेकर अधिभोग तक एम.पी.ई.सी.बी.सी. अनुरूप भवन की जाँच एवं सत्यापन के लिए अधिकृत हूँ ।

निर्माणकार्य चरण के दौरान मैंने एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम से सम्बंधित सभी जरूरी दस्तावेज का सूक्ष्म परिक्षण कर लिया है। मैं सुनिश्चित करता हूँ की विधिवत हस्ताक्षरित जाँच सूचियों, प्रारूपों एवं भवन निर्माण दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया गया है एवं इस कार्यकाल में संशोधन या गैर संशोधन के साथ रूपांकन एवं निर्माणकार्य चरण के दौरान प्रस्तुत कर दिया गया है।

पुनः मैं आश्वासन देता हूँ की एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम के अनुपालन के साथ रूपांकन एवं भवन निर्माण निष्पादित किया गया है एवं निर्माण कार्य दिनांक..... को पूर्ण हो गया एवं आपसे निवेदन है की अधिभोग प्रमाण पत्र की प्रक्रिया प्रारंभ करे जैसा की भवन/भवन संकुल दिनांक..... से स्थान का उपयोग करने के लिए तैयार है।

(हस्ताक्षर)

नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) का नाम
(मुहर एवं हस्ताक्षर)

प्रतिलिपि : पदनाम, विभाग का नाम

जांच सूची (Checklist-1)

1(क) आवरण संक्षेपिका (ENVELOPE SUMMARY)

परियोजना संबंधी जानकारी (Project Info)	परियोजना का पता (Project Address)	दिनांक (Date)
	परियोजना निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) {Project Built-up Area (m ²)}	
	परियोजना ऊपरी सोपान क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) {Project Above-grade Area (m ²)}	
	परियोजना अनुकूलित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) {Project Conditioned Area (m ²)}	
	आवेदक का नाम तथा पता (Applicant Name and Address)	
	परियोजना जलवायु परिक्षेत्र (Project Climatic Zones)	
विभाग के उपयोगार्थ (For Departmental Use)		

भवन वर्गीकरण (Building Classification)	अस्पताल (Hospital)	सम्मेलन (Assembly)		व्यवसाय/ ब्यापार (Business)
	स्वास्थ्य देखभाल (Health Care)	विपणन संकुल (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स) (Shopping Complex)		शैक्षणिक (Educational)

परियोजना संबंधी विवरण (Project Description)	नवीन भवन (New building)	अतिरिक्त निर्माण (Addition)		परिवर्तन (Alteration)
	स्व-अधिभोग (Self-occupied)	अन्तर्भाग तथा ढांचा (Core and Shell)		मिश्रित उपयोग (Mixed-use)

ऊर्जा दक्षता स्तर हेतु अनुपालन चाहा गया है (Compliance is sought for Energy Efficiency level)	ईसीबीसी अनुपालक (ECBC Compliant)	ईसीबीसी+ अनुपालक (ECBC+ Compliant)		सुपर ईसीबीसी अनुपालक (Super ECBC Compliant)
ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात (EPI Ratio)				
अनुपालक विधि (Compliance Approach)	निर्देशात्मक पद्धति (Prescriptive Method)	सम्पूर्ण भवन निष्पादन पद्धति (Whole building Performance Method)		भवन वस्तु- विनियम पद्धति (Building Trade-off Method- आवरण अनुपालन (Envelope Compliance)

भवन आवरण (Building Envelope)				
अनुलम्ब गवाक्ष क्षेत्रफल गणना (Vertical Fenestration Area Calculation)	कुल अनुलम्ब गवाक्ष क्षेत्रफल (अनुमानित खुला क्षेत्र)/सकल बाह्य दीवार क्षेत्रफल (Total Vertical Fenestration Area (rough opening) / Gross Exterior Wall Area)	*100	=	% खिड़की-दीवार अनुपात {% window to wall ratio (WWR)}
			=	

काशायन क्षेत्रफल गणना (Skylight Area Calculation)	कुल काशायन क्षेत्रफल (अनुमानित खुला क्षेत्र) / सकल वाह्य दीवार क्षेत्रफल (Total Skylight Area (rough opening) / Gross Exterior Wall Area)	*100	=	% काशायन-छत अनुपात {% skylight to roof ratio (SRR)}
			=	

अपारदर्शी सज्जीकरण (Opaque Assembly)		दिवसप्रकाश संक्षेपिका (Daylight Summary)	
दीवार (न्यूनतम उष्मरोधक U- कारक) (Wall (Minimum Insulation U-factor))		ऊपरी सोपान फर्श क्षेत्रफल का प्रतिशत जो वर्ष के दौरान संभावित दिवस आलोकित समय के 90% उपयोगी सूर्यप्रकाश प्रदीपन की आवश्यकता की पूर्ति करता है (%above-grade floor area meeting the UDI requirement for 90% of the potential daylight time in a year)	
छत (न्यूनतम उष्मरोधक U- कारक) (Roof (Minimum Insulation U-factor))			

शीतल छत (Cool Roof)	
सौर परावर्तकता (Solar Reflectance)	
उत्सर्जकता (Emittance)	

गवाक्ष (Fenestration)	
अनुलम्ब (Vertical)	
अधिकतम इकाई कारक (Maximum U-factor)	

		अधिकतम सौर ताप प्राप्ति गुणांक या छायाकरण गुणांक {Maximum SHGC (or SC)}	
		न्यूनतम दृष्टिगोचर प्रकाश संप्रेषण (Minimum VLT)	
दीवार सज्जीकरण (Wall Assembly)			
सामग्री (Material)	आर-मूल्य (R-value)	प्रलम्ब/पार्श्व पख/बाक्स चौखट प्रक्षेपण (हैं/नहीं हैं) (Overhang / Sidesfins / Box Frame Projection (yes or No)	
		यदि हों तो प्रत्येक अभिविन्यास तथा प्रभावी सौर ताप प्राप्ति गुणांक हेतु प्रक्षेपण की प्रविष्टि करें (If yes, enter Projection Factor for each orientation and effective SHGC)	
		काशायन (Skylight)	
		अधिकतम सौर ताप प्राप्ति गुणांक (Maximum U-factor)	
		अधिकतम सौर ताप प्राप्ति गुणांक या छाया कारक {Maximum SHGC (or SC)}	

जांच सूची (Checklist-1)

1 (ख) आवरण जांच सूची (ENVELOPE CHECKLIST)

परियोजना पता (Project Address)		दिनांक (Date)
--------------------------------	--	---------------

प्रयोज्यता (Applicability)			संहिता की धारा (Code Section)	घटक (Component)	वांछित जानकारी (Information Required)	रेखांक पर स्थिति (Location on Plans)	भवन विभाग की अभ्युक्ति (Building Department Notes)
हां (Yes)	नहीं (No)	लागू नहीं (N/A)					
अनिवार्य प्रावधान (धारा 4.2) {Mandatory Provisions (Section 4.2)}							

			4.2.1	गवाक्ष मूल्यांकन (Fenestration Rating)	मानक संदर्भ का उल्लेख करें (Specify reference standard)		
			4.2.1.1	इकाई-कारक (U-Factor)	मानक संदर्भ का उल्लेख करें (Specify reference standard)		
			4.2.1.2	सौर ताप प्राप्ति गुणांक (SHGC)	मानक संदर्भ का उल्लेख करें (Specify reference standard)		
			4.2.2	अपारदर्शी इकाई-कारक (Opaque U-factors)	मानक संदर्भ का उल्लेख करें (Specify reference standard)		
			4.2.3	दिवसप्रकाश व्यवस्था (Daylighting)	सीलबंदी (sealing), सदबन्दी (clauking), गास्केटिंग (gasketing) तथा मौसम अनुकूल क्रिया (weather stripping) के बारे में उल्लेख करें।		
			4.2.4	भवन आवरण सीलबन्दी (Building Envelope Sealing)			

निर्देशात्मक अनुपालन विकल्प (धारा 4.3) {Prescriptive Compliance Option (Section 4.3)}

			4.2.5	छतें (Roofs)	क्रियान्वित इकाई-कारक का उल्लेख करें (Specify		
--	--	--	-------	--------------	---	--	--

					implemented U-factor)		
			4.2.6	पारदर्शी बाह्य दीवार (Opaque External Wall)	क्रियान्वित इकाई-कारक का उल्लेख करें (Specify implemented U-factor)		
			4.3.1	अनुलम्ब गवाक्ष (Vertical Fenestration)	<p>(1) गवाक्ष अनुसूची (fenestration schedule) पर इकाई कारकों (U-factors) का उल्लेख करें। यह उल्लेख भी करें कि क्या ये निर्धारित मूल्य हैं या इनमें कोई चूक है। यदि मूल्यों में कोई चूक पाई जाए तो चौखट प्रकार (frame type), काचित सतहों (glazing layers), अन्तराल की चौड़ाई (gap-width) के बारे में स्थिति प्रकट करें।</p> <p>(2) गवाक्ष अनुसूची (fenestration schedule). के बारे में सौर ताप प्राप्ति गुणांक (SHGC) या छायाकरण गुणांक (SC) दर्शायें। यह दर्शायें कि क्या ये मूल्य निर्धारित हैं या इनमें कोई चूक है।</p> <p>(3) गवाक्ष अनुसूची की दृष्टिगोचर प्रकाश पारगम्यता (VLT) का मूल्य दर्शायें। यह दर्शायें कि क्या ये मूल्य निर्धारित हैं या इनमें कोई चूक है।</p> <p>(4) यह दर्शायें कि प्रलम्ब (Overhangs) या पार्श्व पख (side-fins) या बाक्स चौखट प्रक्षेपणों का उपयोग अनुपालन हेतु किया गया है। यदि ऐसा हो तो प्रक्षेपण कारक गणना तथा समतुल्य सौर ताप प्राप्ति गुणांक का मूल्य प्रस्तुत करें।</p>		
			4.3.2	गवाक्ष इकाई कारक (U-factor) छूट	यह उल्लेख करें कि यह प्रकरण में लागू होता है, गैर-अनुकूलित प्रतिशत (unconditioned percentage) को निर्दिष्ट करें तथा सम्मिलित की गई विशिष्टियों (specifications) का उल्लेख करें।		
			4.3.2	काशायन (Skylights)	(1) गवाक्ष अनुसूची (fenestration schedule) पर इकाई-कारकों का उल्लेख करें। यह उल्लेख भी करें कि क्या ये निर्धारित मूल्य हैं या इनमें कोई चूक है। यदि मूल्यों में कोई चूक पाई जाए तो चौखट प्रकार (frame type),		

					काचित सतहों (glazing layers), अन्तराल की चौड़ाई (gap-width) के बारे में स्थिति दर्शायें। (2) गवाक्ष अनुसूची (fenestration schedule). के बारे में सौर ताप प्राप्ति गुणांक (SHGC) या छायाकरण गुणांक (SC) दर्शायें। यह दर्शायें कि क्या ये मूल्य निर्धारित हैं या संदर्भ मानक हैं।
			4.3.3.1	वानस्पतिक शीतल छत (Vegetative cool roof)	सौर परावर्तकता (solar reflectance), उत्सर्जन (emittance) तथा संदर्भ मानकों का उल्लेख करें।

भवन आवरण वस्तु विनियम विकल्प (धारा 4.3.4) {Building Envelope Trade-off Option} (Section 4.3.4)				
				गणना प्रस्तुत करें।

जांच सूची (Checklist-2)

2 (क) आराम प्रणाली तथा नियंत्रक प्रणाली (COMFORT SYSTEM AND CONTROL SUMMARY)

परियोजना संबंधी जानकारी (Project Info)	परियोजना का पता (Project Address)	दिनांक (Date)
	परियोजना निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) {Project Built-up Area (m ²)}	विभाग के उपयोगार्थ (For Departmental Use)
	परियोजना ऊपरी सोपान क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) {Project Above-grade Area (m ²)}	
	परियोजना अनुकूलित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) {Project Conditioned Area (m ²)}	
	आवेदक का नाम तथा पता (Applicant Name and Address)	
	परियोजना जलवायु परिक्षेत्र (Project Climatic Zones)	

परियोजना विवरण (Project Description)						
संक्षेप में आराम प्रणाली का प्रकार तथा इसकी विशिष्टताओं का वर्णन करें (Briefly describe comfort system type and features)	प्राकृतिक वायुसंचार, यांत्रिक वायुसंचार, निम्न ऊर्जा आराम प्रणाली, तापन-शीतलन यांत्रिक उपकरण स्थापित प्रणाली हेतु प्रतिशत क्षेत्रफल वितरण तथा संबंधित जानकारी (Natural ventilation, mechanical ventilation, low energy comfort system, heating cooling mechanical equipment, percentage area distribution for the installed system, and related information)					

अनुपालन विकल्प (Compliance Option)	प्रणाली दक्षता (System efficiency)	निर्देशात्मक पद्धति (Prescriptive Method)	सम्पूर्ण भवन निष्पादन पद्धति (Whole Building Performance Method)

उपकरण अनुसूचियां (Equipment Schedules)	रेखांक (Plan) पर यांत्रिक उपकरण अनुसूचियों के साथ निम्न जानकारी को सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा। जहां परियोजना के रेखांक उपलब्ध न हों, वहां निम्न जानकारी प्रस्तुत की जाए :
---	---

शीतलन उपकरण अनुसूची (Cooling Equipment Schedule)

उपकरण पहचान संख्या (Equip. ID)	ब्रांड नाम तथा मॉडल क्रमांक (Brand Name and Model No.)	क्षमता (Capacity) (kW)	परीक्षण मानक (Testing Standards)	बाह्य वायु घन फुट/मिनट या मितव्ययक (OSA CFM or Economizer)	दक्षता निष्पादन गुणांक (COP) एकीकृत आंशिक भार मूल्य (IPLV)	स्थिति (Location)

Heating Equipment Schedule

उपकरण पहचान संख्या (Equip. ID)	ब्रांड नाम तथा मॉडल क्रमांक (Brand Name and Model No.)	क्षमता (Capacity) (kW)	परीक्षण मानक (Testing Standards)	बाह्य वायु घन फुट/मिनट या मितव्ययक (OSA CFM or Economizer)	निवेश (Input (kW)/Output (kW))	दक्षता (Efficiency)

पंखा उपकरण अनुसूची (Fan Equipment Schedule)						
उपकरण पहचान संख्या (Equip. ID)	ब्रांड नाम तथा मॉडल क्रमांक (Brand Name and Model No.)	परीक्षण मानक (Testing Standards)	स्थैतिक दबाव (Static pressure) SP	दक्षता (Efficiency)	प्रवाह नियंत्रण (Flow Control)	सेवा की अवस्थिति (Location Service)

जांच सूची (Checklist-2)

2 (ख) आराम प्रणाली तथा नियंत्रक जांच सूची (COMFORT SYSTEM AND CONTROLS SUMMARY)

परियोजना का पता Project Address	दिनांक (Date)
--	----------------------

प्रयोज्यता (Applicability)			संहिता की धारा (Code Section)	घटक (Component)	वांछित जानकारी (Information Required)	खांको पर स्थिति (Location on Plans)	भवन विभाग की अभ्युक्ति (Building Department Notes)
हां (Yes)	नहीं (No)	लागू नहीं (N/A)					

आराम प्रणाली तथा नियंत्रक (Comfort System and Controls)

अनिवार्य प्रावधान (धारा 5.2) {Mandatory Provisions (Section 5.2)}							
			5.2.1	वायुसंचार (Ventilation)	यह दर्शाएँ कि समस्त निवास योग्य स्थान धारा 5.2.1 के अनुसार एवं राष्ट्रीय भवन संहिता में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार बाह्य वायु से भली-भांति संवातित हैं		

			5.2.2	न्यूनतम स्थान अनुकूलन (Minimum Space Conditioning) उपकरण दक्षता (Equipment Efficiencies)	उपकरण अनुसूची मय प्रकार, क्षमता, दक्षता प्रस्तुत करें
			5.2.3	नियंत्रक (Controls)	
			5.2.3.1	घड़ी (Timeclock)	ताप स्थाई (thermostat) का रात्रि गतिरोध (night setback), तीन विभिन्न दिवस प्रकारों प्रति सप्ताह तथा दो घंटे के हस्तचालित प्रत्यादेश के साथ दर्शाये जो विद्युत अवरोध के दौरान न्यूनतम दस घंटे की अवधि हेतु कार्यक्रम को चालू रखने तथा समय का निर्धारण करने हेतु सक्षम हो
			5.2.3.2	तापमान नियंत्रण (Temperature Controls)	जहां पृथक-पृथक तापन तथा शीतलन प्रणालियां प्रचलित हों वहां यह दर्शाये कि समकालिक तापन तथा शीतलन की रोकथाम हेतु ताप स्थाई (thermostat) परस्पर तालाबद्ध (interlocked) रहे
			5.2.3.3	अधिभोग नियंत्रक (Occupancy Controls)	स्थान प्रकारों हेतु धारा 5.2.3.3 में उल्लेख किये गये अनुसार अधिभोग नियंत्रकों (occupancy controls) को दर्शाये
			5.2.3.4	पंखा नियंत्रक (Fan Controls)	पंखों के नियंत्रण हेतु द्विगति मोटर, लघु मोटर अथवा परिवर्तनीय गति चालन (variable speed drive) को दर्शाये तथा यह भी कि नियंत्रक पंखा गति को स्थापित पंखा विद्युत शक्ति के न्यूनतम दो-तिहाई तक कम करने में सक्षम होंगे
			5.2.3.5	अवमन्दक (Dampers)	यह दर्शाये कि परिवर्तनीय आवृत्ति चालक (Variable Frequency Drive-VFD) धारित करने वाले समस्त वायु प्रदाय तथा निर्वात उपकरण में अवमन्दक स्थापित किये जाएं जो धारा 5.2.3.5 में उल्लेखित परिस्थितियों में स्वचालित रूप से बन्द हो जाएं।
			5.2.4	ईसीबीसी+ भवनों हेतु अतिरिक्त नियंत्रण (Additional Controls for ECBC+ Building)	
			5.2.4.1	केन्द्रित मांग शेड नियंत्रक (Centralized Demand Shed Controls)	यह दर्शाये कि भवन में मय समस्त यांत्रिक शीतलन तथा तापन प्रणालियों के भवन प्रबंधन प्रणाली कार्यरत है जो परिक्षेत्र स्तर तक (Programming level controller-PLC) धारित करती है तथा धारा 5.2.4.1 में उल्लेखित नियंत्रण क्षमताएं धारित करेगी

		5.2.4.2	प्रदाय वायु तापमान पुनर्निर्धारण (Supply Air Temperature reset)	यह दर्शाये कि बहु परिक्षेत्र यांत्रिक शीतलन तथा तापन प्रणालियों द्वारा भवन भारों या बाह्य वायु तापमान की प्रतिक्रिया में स्वचालित रूप से प्रदाय वायु तापमान के निर्धारण हेतु नियंत्रक धारित किये जायेंगे जो रूपांकन वायु प्रदाय तापमान तथा रूपांकन कक्ष वायु तापमान के अन्तर को न्यूनतम 25% तक पुनर्निर्धारित करने में सक्षम होंगे
		5.2.4.3	शीतित जल तापमान (Chilled Water Temperature)	यह दर्शाये कि 350 किलोवाट क्षमता से अधिक की शीतित जल प्रणालियों में ऐसे नियंत्रक स्थापित किये जायेंगे जो स्वचालित रूप से प्रदाय जल तापमान का पुनर्निर्धारण प्रतिनिधि भवन भारों द्वारा या फिर बाह्य वायु तापमान द्वारा करने में सक्षम होंगे
		5.2.5	सुपर ईसीबीसी भवन हेतु अतिरिक्त नियंत्रण (Additional Controls for SuperECBC Building)	यह दर्शाये कि यांत्रिक प्रणालियों के अंतर्गत धारा 5.2.4 तथा धारा 5.2.5 के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है
		5.2.5.1	परिवर्तनीय वायु आयतन पंखा नियंत्रक (Variable Air Volume Fan Control)	यह दर्शाये कि परिवर्तनीय वायु आयतन पंखों में ऐसे नियंत्रक या यन्त्र स्थापित किये जाएंगे जो पंखा मोटर मांग को धारा 5.2.5.1 के अनुसार सीमित रखने में सक्षम होंगे।
		5.2.6	नलिका तथा डक्ट कार्य (Piping and Duct work)	सीलबन्दी (sealing), सदबन्दी (Caulking), गास्केटिंग (gasketing) तथा मौसम-अनुकूल (weather stripping) प्रक्रियाओं को निष्पादित किया जाना दर्शाये
		5.2.6.1	नलिका उष्मरोधक (Piping Insulation)	उष्मरोधक के आर-मूल्य (R-value) को दर्शाये
		5.2.6.2	डक्ट कार्य तथा प्लीनम उष्मरोधक (Ductwork and Plenum insulation)	उष्मरोधक के आर-मूल्य (R-value) को दर्शाये
		5.2.7	प्रणाली संतुलन (System balancing)	उष्मरोधक के आर-मूल्य (R-value) को दर्शाये
		5.2.8	संघनित्र (Condensers)	संघनित्र की अवस्थिति तथा इस हेतु उपयोग किये गये जल स्रोत को दर्शाये
		5.2.9	सेवा ऊष्ण जल तापन (Service Hot water heating)	
		5.2.9.1	सौर-जल तापन (Solar Water Heating)	यह दर्शाये कि धारा 5.2.9.1 के प्रावधानों के अनुरूप उष्ण जल रूपांकन क्षमता हेतु समस्त होटलों तथा अस्पतालों में सौर जल तापन उपकरण स्थापित किये जा चुके हैं

			5.2.9.2	तापन उपकरण क्षमता (Heating Equipment Efficiency)	
			5.2.9.3	अनुपूरक जल तापन प्रणाली (Supplementary Water Heating System)	यह दर्शाये कि कि अनुपूरक जल तापन प्रणाली का रूपांकन धारा 5.2.9.3 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया है
			5.2.9.4	नलिका व्यवस्था का उष्मरोधक (Piping Insulation)	यह दर्शाये कि नलिका की उष्मरोधक व्यवस्था में धारा 5.2.6.1 का अनुपालन किया गया है
			5.2.9.5	ऊष्मा फन्दे (Heat Traps)	यह दर्शाये कि अनुलम्ब नलिका आरोही (vertical pipe risers) जो तापकों तथा संग्रहण टंकियों को सेवा प्रदान करते हैं, धारा 5.2.9.5 के अनुरूप हैं
			5.2.9.6	तरण पुष्कर (Swimming Pools)	यह दर्शाये कि तापक पुष्करों (heated pools) की जल सतह पर वाष्प मन्दक ताल आच्छादन (vapor retardant pool cover) व तापमान नियंत्रक तथा न्यूनतम उष्मरोधक मूल्य धारा 5.2.9.6 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किये गये हैं

निर्देशात्मक अनुपालन विकल्प (धारा 5.3) {Prescriptive Compliance Option (section 5.3)}					
			5.3.1	पंखा (Fans)	पंखा प्रकार, मोटर दक्षता तथा यांत्रिक दक्षता दर्शाये
			5.3.2	पम्प (Pumps)	पम्प प्रकार (प्राथमिक, द्वितीयक, तथा संघनित्र); इसकी कुल स्थापित क्षमता तथा दक्षता दर्शाएं
			5.3.3	शीतलन स्तम्भ (Cooling Towers)	शीतलन स्तंभ प्रकार की स्थापित क्षमता दर्शाये
			5.3.4	वायु-मितव्ययक (ईसीबीसी/ईसीबीसी+ / सुपर ईसीबीसी (Air-economizer (ECBC/ ECBC+/Super ECBC)	यह दर्शाये कि वायु-मितव्ययक, नियंत्रक बाह्य वायु तथा प्रत्यागमन-वायु अवमन्दक (return-air dampers) के बारे में तत्संबंधी भवन प्रकार हेतु रूपांकित 50% वायु मात्रा प्रदाय करने में सक्षम हैं
			5.3.4	जल-मितव्ययक (ईसीबीसी/ईसीबीसी+ / सुपर ईसीबीसी) (Water-economizer (ECBC/ ECBC+/Super ECBC)	यह दर्शाये कि यदि रूपांकित भवन एक तत्संबंधी भवन प्रकार है तो जल-मितव्ययक 10°C बल्ब/ 7.2°C आर्द्र बल्ब तथा इससे कम बाह्य वायु तापमान पर प्रत्याशित प्रणाली शीतलन भार का 50% भाग प्रदान करने में सक्षम हैं

			5.3.4.3	आंशिक शीतलन (Partial Cooling)	जहां धारा 5.3.4 के अनुसार अत्यावश्यक हो, यह दर्शाये कि जब कभी भी शीतलन भार की पूर्ति हेतु अतिरिक्त यांत्रिक शीतलन आवश्यक हो, मितव्ययक-आंशिक शीतलन प्रदान करने में सक्षम होंगे।
			5.3.4.4	नियंत्रक (Controls)	यह दर्शाये कि वायु मितव्ययक धारा 5.3.4.4 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रकों द्वारा सज्जित हैं
			5.3.9	परीक्षण (Testing)	यह दर्शाये कि वायु-पक्ष मितव्ययकों का निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है
			5.3.5	परिवर्तनीय प्रवाह द्रव चालित प्रणालियां (Variable Flow Hydronic Systems)	
			5.3.5.1	परिवर्तनीय तरल प्रवाह (Variable Fluid Flow)	HVAC पंपिंग प्रणाली की रूपांकन प्रवाह दर दर्शाये
			5.3.5.2	पृथक्करण कपाट (Isolation Valves)	यह दर्शाये कि जल शीतलित वातानुकूलन व्यवस्था में द्वि-मार्गीय स्वचालित पृथक्करण वाल्व स्थापित किये गये हैं तथा 3.7 किलोवाट से अधिक या इसके बराबर क्षमता के पम्प मोटर धारित करते हैं तथा परिवर्तनीय गति चालकों (variable speed drives) द्वारा नियंत्रित हैं
			5.3.5.3	परिवर्तनीय गति चालक (Variable Speed Drives)	यह दर्शाये कि शीतित जल (chilled water) या संघनित्र जल (condenser water) प्रणाली के अंतर्गत धारा 5.3.5.1 अथवा धारा 5.3.3.2 में से किसी भी एक के प्रावधान का अनुपालन किया जा रहा है
			5.3.5.4	ऊष्मा प्रतिप्राप्ति (Heat Recovery)	समस्त अतिथि-सत्कार (hospitality) तथा स्वास्थ्य देखभाल (healthcare) व्यवस्थाओं हेतु ऊष्मा प्रतिप्राप्ति प्रभावशीलता (heat recovery effectiveness) तथा खनिज तेल एवं गैस प्रज्वलित वाष्पित्रों (बायलरो) की दक्षता के बारे में दर्शाये
			5.4	प्रणाली दक्षता-वैकल्पिक अनुपालन विधि (System Efficiency-Alternate compliance approach)	अनुरूपण प्रतिवेदन (simulation report) संलग्न करें
			5.5	निम्न-ऊर्जा आराम प्रणाली (Low energy comfort systems)	प्रणाली प्रकार को दर्शाये तथा दावा की गई छूट को सूचीबद्ध करें।

जांच सूची (Check List-3)

3 (क) प्रकाश व्यवस्था तथा नियंत्रकों का सारांश (LIGHTING AND CONTROLS SUMMARY)

परियोजना संबंधी जानकारी (Project Info)	परियोजना का पता (Project Address)	दिनांक (Date)
	परियोजना निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) {Project Built-up Area (m ²)}	विभाग के उपयोगार्थ (For Departmental Use)
	परियोजना ऊपरी सोपान क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) {Project Above-grade Area (m ²)}	
	परियोजना अनुकूलित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) {Project Conditioned Area (m ²)}	
	आवेदक का नाम तथा पता (Applicant Name and Address)	
	परियोजना जलवायु परिक्षेत्र (Project Climatic Zones)	

अनुपालन विकल्प (Compliance option)	स्थान दर स्थान पद्धति (Space by space method)			सम्पूर्ण भवन निष्पादन पद्धति (Whole building performance method)	
अधिकतम अनुज्ञेय प्रदीपन शक्ति (आन्तरिक, धारा 6.3.2 अथवा 6.3.3)					
अवस्थिति (तल/कक्ष क्रमांक {Location (Floor/room no.)}	अधिभोग का वर्णन (Occupancy Description)	अनुज्ञेय प्रदीपन शक्ति घनत्व (वाट प्रति वर्ग मीटर में) Allowed Lighting Power Density (Watts/m ²)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) (Area (in m ²)	अनुज्ञेय प्रदीपन शक्ति घनत्व क्षेत्रफल (Allowed LPD*area)	

कुल अनुज्ञेय वाट (Total Allowed watts)				
प्रस्तावित प्रदीपन शक्ति (आंतरिक) Proposed Lighting Power (Interior)				
अवस्थिति (तल/कक्ष क्रमांक) {Location (Floor/room no.)}	उपस्कर का वर्णन (Fixture Description)	उपस्करों की कुल संख्या (No. of Fixtures)	वाट प्रति उपस्कर (Watts per fixture)	कुल प्रस्तावित किये गये वाट (Watts Proposed)
आन्तरिक व्यवस्था हेतु कुल प्रस्तावित वाट संख्या कुल अनुज्ञेय की गई वाट संख्या से अधिक न होगी (Total proposed watts shall not exceed total allowed watts for interior)			कुल प्रस्तावित वाट संख्या (Total Proposed watts)	

अधिकतम अनुज्ञेय प्रदीपन वाटेज (बाह्य, धारा 6.3.5) {Maximum Allowed Lighting Wattage (Exterior, Section 6.3.5)}				
अवस्थिति (तल/कक्ष क्रमांक) {Location (Floor/room no.)}	उपस्कर का वर्णन (Fixture Description)	अनुज्ञेय प्रदीपन शक्ति घनत्व (वाट प्रति वर्ग मीटर में) {Allowed Lighting Power Density (Watts/m ²)}	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) {Area (in m ²)}	अनुज्ञेय प्रदीपन शक्ति घनत्व क्षेत्रफल (Allowed LPD*area)
कुल प्रस्तावित वाट संख्या (Total Proposed watts)				

प्रस्तावित प्रदीपन वाटेल बाह्य {Proposed Lighting Wattage (Exterior)}

अवस्थिति (तल/कक्ष क्रमांक) {Location (Floor/room no.)}	अधिभोग का वर्णन (Occupancy Description)	अनुज्ञेय प्रदीपन शक्ति घनत्व (वाट प्रति वर्ग मीटर में) {Allowed Lighting Power Density}	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) {Area (in m ²)}	अनुज्ञेय प्रदीपन शक्ति घनत्व क्षेत्रफल (Allowed LPD*area)

		(Watts/m ²)		
	बाह्य व्यवस्था हेतु कुल प्रस्तावित वाट संख्या कुल अनुज्ञेय की गई वाट संख्या से अधिक न होगी (Total proposed watts may not exceed total allowed watts for exterior)		कुल प्रस्तावित वाट संख्या (Total Proposed watts)	

जांच सूची Check List-3)

3 (ख) प्रकाश व्यवस्था तथा नियंत्रक का सारांश (LIGHTING AND CONTROLS CHECKLIST)

परियोजना का पता (Project Address)		दिनांक (Date)
--------------------------------------	--	---------------

प्रयोज्यता (Applicability)			संहिता की धारा (Code Section)	घटक (Component)	वांछित जानकारी (Information Required)	रेखांक पर स्थिति (Location on Plans)	भवन विभाग की अभ्युक्ति (Building Department Notes)
हां (Yes)	नहीं (No)	लागू नहीं (N/A)					

प्रकाश व्यवस्था तथा नियंत्रक (Lighting and Controls)

अनिवार्य प्रावधान (धारा 6.2) {Mandatory Provisions (Section 6.2)}

			6.2.1	प्रकाश व्यवस्था के नियंत्रक (Lighting Controls)	
			6.2.1.1	स्वचालित चालू-बन्द व्यवस्था (Automatic Shutoff)	स्वचालित चालू-बन्द (automatic shutoff) अवस्थितियों अथवा अधिभोग संवेदियों (occupancy sensors) को दर्शायें
			6.2.1.2	स्थल नियंत्रण (Space Control)	प्रकार दर्शाते हुए अनुसूची प्रदान करें, अवस्थिति दर्शायें
			6.2.1.3	दिवस प्रकाश आलोकित परिक्षेत्र (Daylit Zones)	हस्तचालित अथवा स्वचालित नियंत्रण यंत्र अनुसूची मय प्रकार तथा विशिष्टताओं के प्रदान करें, अवस्थिति दर्शायें
			6.2.1.4	केन्द्रित नियंत्रक (Centralized Controls) ईसीबीसी+ सुपर ईसीबीसी भवन	केन्द्रित नियंत्रण प्रणाली अनुसूची मय प्रकार तथा विशिष्टताओं के प्रदाय करें, अवस्थिति भी दर्शायें
			6.2.1.5	बाह्य प्रकाश व्यवस्था का नियंत्रण (Ext. Lighting control)	प्रकाश संवेदी (photo-sensor) या खगोलीय समय (astronomical time) दर्शायें
			6.2.1.6	अतिरिक्त नियंत्रण (Additional control)	अनुसूची मय प्रकार प्रदान करें, अवस्थितियां दर्शायें
			6.2.3	निर्गम संकेत (Exit Signs)	निर्गम संकेत का वोल्टेज प्रति फलक दर्शायें

निर्देशात्मक आन्तरिक प्रदीपन शक्ति अनुपालन विकल्प (धारा 6.3) {Prescriptive Interior Lighting Power Compliance Option (Section 6.3)}

			6.3	प्रदीपन शक्ति घनत्व अनुपालन (LPD Compliance)	यह दर्शायें कि क्या परियोजना में भवन क्षेत्रफल, पद्धति (building area method) (धारा 6.3.2) या फिर स्थल कार्य पद्धति (space function method) (धारा 3.3) का अनुपालन किया जा रहा है
			6.3.2	भवन क्षेत्रफल पद्धति (Building area method)	प्रकाश व्यवस्था अनुसूची (lighting schedule) मय बत्ती (लैम्प), स्थिरक लैम्प (ballast) तथा उपस्करों की संख्या के प्रदान करें। समस्त अपवादों का प्रलेखन करें।

			6.3.2	स्थान कार्य पद्धति (Space function method)	प्रकाश व्यवस्था अनुसूची (lighting schedule) मय बत्ती (लैम्प), स्थिरक लैम्प (ballast) तथा उपस्करों की संख्या के प्रदान करें। समस्त अपवादों को अभिलेखित भी करें।
			6.3.3	प्रकाश पुंज वाटेज (Luminaire wattage)	तल रेखांक (floor plan) पर स्थापित प्रकाश पुंजों का वोल्टेज दर्शायें। ऐसे प्रकाश पुंजों के प्रकरण में जहां स्थाई रूप से संस्थापित स्थिरक लैम्पों की स्थापना की गई है वहां विनिर्माता सूची पत्र या फिर स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला प्रतिवेदनों से प्राप्त किये गये मूल्यों से परिचालन निवेश वाटेज प्रदान की जानी चाहिए।

निर्देशात्मक बाह्य प्रदीपन शक्ति अनुपालन विकल्प (धारा 6.3.3) {Prescriptive Exterior Lighting Power Compliance Option (Section 6.3.5)}

			6.4	बाह्य प्रकाश व्यवस्था (Exterior Lighting)	प्रकाश व्यवस्था अनुसूची (lighting schedule) मय बत्ती (लैम्प), स्थिरक लैम्प (ballast) तथा उपस्करों की संख्या के प्रदान करें। समस्त अपवादों को अभिलेखित भी करें।
--	--	--	-----	--	--


संलग्नक-1 (ANNEXURES-I)

इस संलग्नक में मध्यप्रदेश-ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को सम्मिलित किया गया है जिसे मध्यप्रदेश राज्य हेतु स्थानीय जलवायु परिस्थितियों तथा अवस्थितियों के अनुसार संशोधित किया गया है।

संलग्नक-2 (ANNEXURES-II)

11. परिशिष्ट ख : मध्यप्रदेश का जलवायु परिक्षेत्र मानचित्र (Climate Zone Map of Madhya Pradesh)

मध्यप्रदेश राज्य का जलवायु संबंधी वर्गीकरण (Climatic Classification of Madhya Pradesh)



क्रमांक	संभाग	जिला	शहर/नगर/ग्राम जिला/तहसील/अन्य (Cities/Towns/Villages District/Tehsils/Others)	जलवायु स्थिति	निकटतम जलवायु उपलब्ध epw फाइल
1	भोपाल	भोपाल	भोपाल	मिश्रित	भोपाल
2			बेरसिया	मिश्रित	भोपाल
3			कोलार	मिश्रित	भोपाल
4		सीहोर	सीहोर	मिश्रित	भोपाल
5			आष्टा	मिश्रित	भोपाल
6			बुधनी	मिश्रित	भोपाल
7			इच्छावर	मिश्रित	भोपाल
8			जावर	मिश्रित	भोपाल
9			नसरुल्लागंज	मिश्रित	भोपाल
10			रेहती	मिश्रित	भोपाल
11		रायसेन	रायसेन	मिश्रित	भोपाल
12			गोहरगंज	मिश्रित	भोपाल
13			मंडीदीप	मिश्रित	भोपाल
14			बेगमगंज	मिश्रित	भोपाल
15			गौरागंज	मिश्रित	भोपाल

क्रमांक	संभाग	जिला	शहर/नगर/ग्राम जिला/तहसील/अन्य (Cities/Towns/Villages (District/Tehsils/Others	जलवायु स्थिति	निकटतम जलवायु उपलब्ध epw फाइल	
16	नर्मदापुरम		सिलवानी	मिश्रित	भोपाल	
17			बरेली	मिश्रित	भोपाल	
18			उदैपुरा	मिश्रित	भोपाल	
19			बदी	मिश्रित	भोपाल	
20		राजगढ़	जीरापुर	उष्ण-शुष्क	भोपाल	
21			खिलचीपुर	उष्ण-शुष्क	भोपाल	
22			राजगढ़	उष्ण-शुष्क	भोपाल	
23			नरसिंहगढ़	उष्ण-शुष्क	भोपाल	
24			ब्यावरा	उष्ण-शुष्क	भोपाल	
25			प्योर	उष्ण-शुष्क	भोपाल	
26			सारंगपुर	उष्ण-शुष्क	भोपाल	
27			विदिशा	विदिशा	मिश्रित	भोपाल
28				गंजबासोदा	मिश्रित	भोपाल
29				कुरवारी	मिश्रित	भोपाल
30		लटेरी		मिश्रित	भोपाल	
31		सिरोंज		मिश्रित	भोपाल	
32		होशंगाबाद	होशंगाबाद	मिश्रित	भोपाल	
33			इटारसी	मिश्रित	भोपाल	
34			सिउनी-मालवा	मिश्रित	भोपाल	
35			पिपरिया	मिश्रित	भोपाल	
36			सोहागपुर	मिश्रित	भोपाल	
37			बबई	मिश्रित	भोपाल	
38			बनखेडी	मिश्रित	भोपाल	
39			डोलरिया	मिश्रित	भोपाल	
40			बेतुल	बेतुल	मिश्रित	भोपाल
41				सारणी	मिश्रित	भोपाल
42		मुल्ताई		मिश्रित	भोपाल	
43		अम्ला		मिश्रित	भोपाल	
44		चिचोली		मिश्रित	भोपाल	
45		घोरादोंग्री		मिश्रित	भोपाल	
46		अथनेर		मिश्रित	भोपाल	
47	भैंसदेही	मिश्रित		भोपाल		
48	बेतुल बाजार	मिश्रित		भोपाल		
49	हरदा	हरदा	मिश्रित	भोपाल		
50		रहतगाँव	मिश्रित	भोपाल		
51		खिरकिया	मिश्रित	भोपाल		
52		सिरली	मिश्रित	भोपाल		
53		टिमरनी	मिश्रित	भोपाल		
54		हांडिया	मिश्रित	भोपाल		

क्रमांक	संभाग	जिला	शहर/नगर/ग्राम जिला/तहसील/अन्य (Cities/Towns/Villages (District/Tehsils/Others	जलवायु स्थिति	निकटतम जलवायु उपलब्ध epw फाइल	
55	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	मिश्रित	ग्वालियर	
56			डबरा	मिश्रित	ग्वालियर	
57			भीटरवार	मिश्रित	ग्वालियर	
58			चीनौर	मिश्रित	ग्वालियर	
59		शिवपुरी	शिवपुरी	मिश्रित	ग्वालियर	
60			पिच्चोरे	मिश्रित	ग्वालियर	
61			पोहरी	मिश्रित	ग्वालियर	
62			नरवार	मिश्रित	ग्वालियर	
63			करेरा	मिश्रित	ग्वालियर	
64			खानियाधना	मिश्रित	ग्वालियर	
65			बडरवास	मिश्रित	ग्वालियर	
66			कोलारस	मिश्रित	ग्वालियर	
67		गुना	गुना	उष्ण-शुष्क	ग्वालियर	
68			बमोरी	उष्ण-शुष्क	ग्वालियर	
69			राघोगड	उष्ण-शुष्क	ग्वालियर	
70			अरोन	उष्ण-शुष्क	ग्वालियर	
71			चचौरा	उष्ण-शुष्क	ग्वालियर	
72			कुम्भराज	उष्ण-शुष्क	ग्वालियर	
73			मक्सूदनगढ	उष्ण-शुष्क	ग्वालियर	
74			अशोकनगर	अशोकनगर	मिश्रित	ग्वालियर
75		मुंगावली		मिश्रित	ग्वालियर	
76		ईसागढ		मिश्रित	ग्वालियर	
77		चंदेरी		मिश्रित	ग्वालियर	
78		शधोरा		मिश्रित	ग्वालियर	
79		दतिया	दतिया	मिश्रित	ग्वालियर	
80			भांडेर	मिश्रित	ग्वालियर	
81			इन्देरगढ	मिश्रित	ग्वालियर	
82			सेओंधा	मिश्रित	ग्वालियर	
83		चम्बल	श्योपुर	श्योपुर	मिश्रित	ग्वालियर
84				विजयपुर	मिश्रित	ग्वालियर
85				कराहल	मिश्रित	ग्वालियर
86				बड़ोदा	मिश्रित	ग्वालियर
87	बीरपुर			मिश्रित	ग्वालियर	
88	मुरैना			मिश्रित	ग्वालियर	
89	मुरैना		जौरा	मिश्रित	ग्वालियर	
90			अम्बाह	मिश्रित	ग्वालियर	
91			पोरसा	मिश्रित	ग्वालियर	
92			सबलगढ	मिश्रित	ग्वालियर	
93		कैलारस	मिश्रित	ग्वालियर		

क्रमांक	संभाग	जिला	शहर/नगर/ग्राम जिला/तहसील/अन्य (Cities/Towns/Villages (District/Tehsils/Others	जलवायु स्थिति	निकटतम जलवायु उपलब्ध epw फाइल
94	जबलपुर	भिंड	भिंड	मिश्रित	ग्वालियर
95			गोरमी	मिश्रित	ग्वालियर
96			अतेर	मिश्रित	ग्वालियर
97			रोन	मिश्रित	ग्वालियर
98			मिहोना	मिश्रित	ग्वालियर
99			मेहगांव	मिश्रित	ग्वालियर
100			गोहद	मिश्रित	ग्वालियर
101			लहर	मिश्रित	ग्वालियर
102			जबलपुर	जबलपुर	मिश्रित
103		पनागर		मिश्रित	जबलपुर
104		शाहपुरा		मिश्रित	जबलपुर
105		सिहोरा		मिश्रित	जबलपुर
106		मझोली		मिश्रित	जबलपुर
107		पतन		मिश्रित	जबलपुर
108		कुंदम		मिश्रित	जबलपुर
109		कटनी		कटनी	मिश्रित
110			मुर्वर	मिश्रित	जबलपुर
111			विजयराघवगढ़	मिश्रित	जबलपुर
112			बहोरिबंद	मिश्रित	जबलपुर
113			धिमर्कखेडा	मिश्रित	जबलपुर
114			रीठी	मिश्रित	जबलपुर
115			बडवारा	मिश्रित	जबलपुर
116			बरही	मिश्रित	जबलपुर
117		नारसिम्हापुर	नारसिम्हापुर	मिश्रित	जबलपुर
118			गोतेगांव	मिश्रित	जबलपुर
119			करेली	मिश्रित	जबलपुर
120			तेंदुखेडा	मिश्रित	जबलपुर
121			गाडरवाडा	मिश्रित	जबलपुर
122		छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	मिश्रित	जबलपुर
123			हरई	मिश्रित	जबलपुर
124			पादुरना	मिश्रित	जबलपुर
125			तामिया	मिश्रित	जबलपुर
126			डोंगर परसिया	मिश्रित	जबलपुर
127	अमरवारा		मिश्रित	जबलपुर	
128	जमई		मिश्रित	जबलपुर	
129	उमरेठ		मिश्रित	जबलपुर	
130	दमुआ		मिश्रित	जबलपुर	
131	चौराई		मिश्रित	जबलपुर	
132	जुन्नार्दो		मिश्रित	जबलपुर	
133	मोहखेड़		मिश्रित	जबलपुर	

क्रमांक	संभाग	जिला	शहर/नगर/ग्राम जिला/तहसील/अन्य (Cities/Towns/Villages (District/Tehsils/Others	जलवायु स्थिति	निकटतम जलवायु उपलब्ध epw फाइल	
134		सिवनी	सौसर	मिश्रित	जबलपुर	
135			बिच्चुआ	मिश्रित	जबलपुर	
136			सिवनी	मिश्रित	जबलपुर	
137			लखनदों	मिश्रित	जबलपुर	
138			बरघाट	मिश्रित	जबलपुर	
139			क्योलरी	मिश्रित	जबलपुर	
140			घंसौर	मिश्रित	जबलपुर	
141			छपरा	मिश्रित	जबलपुर	
142			कुरल	मिश्रित	जबलपुर	
143			धनोरा	मिश्रित	जबलपुर	
144			मंडला	मंडला	मिश्रित	जबलपुर
145				बिच्छिया	मिश्रित	जबलपुर
146				घुगरी	मिश्रित	जबलपुर
147				नैनपुर	मिश्रित	जबलपुर
148		निवास		मिश्रित	जबलपुर	
149		नारायणगंज		मिश्रित	जबलपुर	
150		बालाघाट	बालाघाट	मिश्रित	जबलपुर	
151			बैहर	मिश्रित	जबलपुर	
152			मलान्जखंड	मिश्रित	जबलपुर	
153			लंजी	मिश्रित	जबलपुर	
154			वारास्योनी	मिश्रित	जबलपुर	
155			किरनापुर	मिश्रित	जबलपुर	
156			लैबर्ग	मिश्रित	जबलपुर	
157			खैरलांजी	मिश्रित	जबलपुर	
158			परसवाडा	मिश्रित	जबलपुर	
159			कटंगी	मिश्रित	जबलपुर	
160			तिरोदी	मिश्रित	जबलपुर	
161		सागर	सागर	सागर	मिश्रित	जबलपुर
162				बंडा	मिश्रित	जबलपुर
163				बीना	मिश्रित	जबलपुर
164	खुरई			मिश्रित	जबलपुर	
165	दयोरी			मिश्रित	जबलपुर	
166	मल्थों			मिश्रित	जबलपुर	
167	रेहली			मिश्रित	जबलपुर	
168	शाहगढ़			मिश्रित	जबलपुर	
169	राहतगढ़			मिश्रित	जबलपुर	
170	गढ़ाकोटा			मिश्रित	जबलपुर	
171	केसली			मिश्रित	जबलपुर	
172	दमोह			दमोह	मिश्रित	जबलपुर
173				पथरिया	मिश्रित	जबलपुर

क्रमांक	संभाग	जिला	शहर/नगर/ग्राम जिला/तहसील/अन्य (Cities/Towns/Villages (District/Tehsils/Others	जलवायु स्थिति	निकटतम जलवायु उपलब्ध epw फाइल	
174			जबेर	मिश्रित	जबलपुर	
175			तेंदुखेडा	मिश्रित	जबलपुर	
176			हत्ता	मिश्रित	जबलपुर	
177			बतीयागढ़	मिश्रित	जबलपुर	
178			पटेरा	मिश्रित	जबलपुर	
179			पन्ना	पन्ना	मिश्रित	जबलपुर
180		अजयगढ़		मिश्रित	जबलपुर	
181		पवई		मिश्रित	जबलपुर	
182		गुन्नौर		मिश्रित	जबलपुर	
183		अमनगंज		मिश्रित	जबलपुर	
184		शाहनगर		मिश्रित	जबलपुर	
185		देवेन्द्रनगर		मिश्रित	जबलपुर	
186		राजपुरा		मिश्रित	जबलपुर	
187		छतरपुर		छतरपुर	मिश्रित	जबलपुर
188				बड़ा मलहेरा	मिश्रित	जबलपुर
189			बिजावर	मिश्रित	जबलपुर	
190			बुक्सवाहा	मिश्रित	जबलपुर	
191			चंडला	मिश्रित	जबलपुर	
192			गौरीहर	मिश्रित	जबलपुर	
193			लौन्दी	मिश्रित	जबलपुर	
194			महाराजपुर	मिश्रित	जबलपुर	
195			नोगांव	मिश्रित	जबलपुर	
196			राजनगर	मिश्रित	जबलपुर	
197		टीकमगढ़	टीकमगढ़	मिश्रित	जबलपुर	
198			पलेरा	मिश्रित	जबलपुर	
199			जटारा	मिश्रित	जबलपुर	
200			पृथ्वीपुर	मिश्रित	जबलपुर	
201			निवरी	मिश्रित	जबलपुर	
202			बल्देयोगढ़	मिश्रित	जबलपुर	
203			खर्गपुर	मिश्रित	जबलपुर	
204			मोहनगढ़	मिश्रित	जबलपुर	
205			ओरछा	मिश्रित	जबलपुर	
206		रीवा	रीवा	रीवा	मिश्रित	जबलपुर
207	हुजूर			मिश्रित	जबलपुर	
208	हनुमन			मिश्रित	जबलपुर	
209	त्योथर			मिश्रित	जबलपुर	
210	मंगावन			मिश्रित	जबलपुर	
211	जवा			मिश्रित	जबलपुर	
212	सिरमौर			मिश्रित	जबलपुर	
213	मौगंज			मिश्रित	जबलपुर	

क्रमांक	संभाग	जिला	शहर/नगर/ग्राम जिला/तहसील/अन्य (Cities/Towns/Villages (District/Tehsils/Others	जलवायु स्थिति	निकटतम जलवायु उपलब्ध epw फाइल
214			नैगढ़	मिश्रित	जबलपुर
215			सेमरिया	मिश्रित	जबलपुर
216			गुड	मिश्रित	जबलपुर
217			राजपुर कर्चुलियाँ	मिश्रित	जबलपुर
218		सिंगरौली	सिंगरौली	मिश्रित	जबलपुर
219			चितरंगी	मिश्रित	जबलपुर
220			दयोसर	मिश्रित	जबलपुर
221		सीधी	सीधी	मिश्रित	जबलपुर
222			गोपदबनस	मिश्रित	जबलपुर
223			सिहावल	मिश्रित	जबलपुर
224			रामपुर नैकिन	मिश्रित	जबलपुर
225			मझौली	मिश्रित	जबलपुर
226			चुरहट	मिश्रित	जबलपुर
227			कुसमी	मिश्रित	जबलपुर
228		सतना	सतना	मिश्रित	जबलपुर
229			रघुरनगर	मिश्रित	जबलपुर
230			मैहर	मिश्रित	जबलपुर
231			नागोद	मिश्रित	जबलपुर
232			अमरपाटन	मिश्रित	जबलपुर
233			उच्चर	मिश्रित	जबलपुर
234			रामपुर बघेलन	मिश्रित	जबलपुर
235			रामनगर	मिश्रित	जबलपुर
236			मझगवां	मिश्रित	जबलपुर
237			बिर्सिंघपुर	मिश्रित	जबलपुर
238			कोटर	मिश्रित	जबलपुर
239		शहडोल	शहडोल	मिश्रित	जबलपुर
240			सोहागपुर	मिश्रित	जबलपुर
241			ब्योहारी	मिश्रित	जबलपुर
242			जैसिंगनगर	मिश्रित	जबलपुर
243			धनपुरी	मिश्रित	जबलपुर
244			जैतपुर	मिश्रित	जबलपुर
245			उमरिया	उमरिया	मिश्रित
246	मानपुर	मिश्रित		जबलपुर	
247	बांधवगढ़	मिश्रित		जबलपुर	
248	पाली	मिश्रित		जबलपुर	
249	चंदिया	मिश्रित		जबलपुर	
250	नौरोजाबाद	मिश्रित	जबलपुर		
251	डिंडोरी	डिंडोरी	मिश्रित	जबलपुर	
252		शाहपुरा	मिश्रित	जबलपुर	

क्रमांक	संभाग	जिला	शहर/नगर/ग्राम जिला/तहसील/अन्य (Cities/Towns/Villages (District/Tehsils/Others	जलवायु स्थिति	निकटतम जलवायु उपलब्ध epw फाइल
253	इंदौर	अनुपपुर	अनुपपुर	मिश्रित	जबलपुर
254			पुष्पराजगढ़	मिश्रित	जबलपुर
255			पसन	मिश्रित	जबलपुर
256			कोतमा	मिश्रित	जबलपुर
257			जैठारी	मिश्रित	जबलपुर
258		इंदौर	इंदौर	उष्ण-शुष्क	इंदौर
259			महू	मिश्रित	इंदौर
260			देपालपुर	मिश्रित	इंदौर
261			सांवेर	मिश्रित	इंदौर
262			हतोद	मिश्रित	इंदौर
263		धार	धार	उष्ण-शुष्क	इंदौर
264			कुक्षी	उष्ण-शुष्क	इंदौर
265			मनावर	उष्ण-शुष्क	इंदौर
266			सरदारपुर	उष्ण-शुष्क	इंदौर
267			बड़वानी	उष्ण-शुष्क	इंदौर
268			बदनावर	मिश्रित	इंदौर
269			धरमपुरी	मिश्रित	इंदौर
270			गंधवनी	मिश्रित	इंदौर
271		दही	मिश्रित	इंदौर	
272		अलीराजपुर	अलीराजपुर	उष्ण-शुष्क	इंदौर
273			जोबट	उष्ण-शुष्क	इंदौर
274			भवर	उष्ण-शुष्क	इंदौर
275		झाबुआ	झाबुआ	उष्ण-शुष्क	इंदौर
276			पेटलावद	उष्ण-शुष्क	इंदौर
277			थांडला	उष्ण-शुष्क	इंदौर
278			मेघनगर	उष्ण-शुष्क	इंदौर
279			रानापुर	उष्ण-शुष्क	इंदौर
280		खरगौन	खरगौन	उष्ण-शुष्क	इंदौर
281			बड़वाहा	मिश्रित	इंदौर
282	भगवानपुरा		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
283	भीकनगांव		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
284	सनावद		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
285	गोगांव		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
286	झिरन्या		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
287	कसरावद		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
288	महेश्वर		मिश्रित	इंदौर	
289	सेगांव		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
290	बड़वान		बड़वानी	उष्ण-शुष्क	इंदौर
291		संघवा	उष्ण-शुष्क	इंदौर	

क्रमांक	संभाग	जिला	शहर/नगर/ग्राम जिला/तहसील/अन्य (Cities/Towns/Villages (District/Tehsils/Others	जलवायु स्थिति	निकटतम जलवायु उपलब्ध epw फाइल	
292			राजपुर	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
293			पटी	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
294			पानसेमल	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
295			वरला	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
296			निवली	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
297			अंजड	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
298			ठीकरी	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
299			खण्डवा	खण्डवा	उष्ण-शुष्क	इंदौर
300		हरसूद		मिश्रित	इंदौर	
301		खलवा		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
302		पंधाना		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
303		पुनासा		मिश्रित	इंदौर	
304		बुरहानपुर	बुरहानपुर	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
305			नेपानगर	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
306			खकनार	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
307		उज्जैन	उज्जैन	मिश्रित	इंदौर	
308			बडनगर	मिश्रित	इंदौर	
309			महिदपुर	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
310			तराना	मिश्रित	इंदौर	
311			नागदा	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
312			खचरोद	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
313			घटिया	मिश्रित	इंदौर	
314			देवास	देवास	मिश्रित	इंदौर
315				बागली	मिश्रित	इंदौर
316				खातेगाव	मिश्रित	इंदौर
317				सोनकच्छ	मिश्रित	इंदौर
318				तोंखुर्द	मिश्रित	इंदौर
319		कन्नोद		मिश्रित	इंदौर	
320		हत्पिल्या		मिश्रित	इंदौर	
321		रतलाम	रतलाम	मिश्रित	इंदौर	
322	जावरा		उष्ण-शुष्क	इंदौर		
323	पिपलोदा		उष्ण-शुष्क	इंदौर		
324	सैलाना		उष्ण-शुष्क	इंदौर		
325	अलोट		उष्ण-शुष्क	इंदौर		
326	ताल		उष्ण-शुष्क	इंदौर		
327	रावती		उष्ण-शुष्क	इंदौर		
328	बज्जा		उष्ण-शुष्क	इंदौर		
329	शाजापुर	शाजापुर	मिश्रित	इंदौर		
330		शुजालपुर	मिश्रित	इंदौर		
331		कालापिपल	मिश्रित	इंदौर		

क्रमांक	संभाग	जिला	शहर/नगर/ग्राम जिला/तहसील/अन्य (Cities/Towns/Villages (District/Tehsils/Others	जलवायु स्थिति	निकटतम जलवायु उपलब्ध epw फाइल	
332			गुलाना	मिश्रित	इंदौर	
333			मोमन बडोदिया	मिश्रित	इंदौर	
334			आगर	मिश्रित	इंदौर	
335			सुसनेर	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
336			बडोद	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
337			नलखेडा	मिश्रित	इंदौर	
338			मंदसौर	मंदसौर	उष्ण-शुष्क	इंदौर
339		मल्हारगंज		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
340		सीतामऊ		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
341		भानपूरा		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
342		गरोठ		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
343		शामगढ		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
344		दलोदा		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
345		सुवासरा		उष्ण-शुष्क	इंदौर	
346		नीमच		नीमच	उष्ण-शुष्क	इंदौर
347				माणसा	उष्ण-शुष्क	इंदौर
348			जावद	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
349			सिंगोली	उष्ण-शुष्क	इंदौर	
350			जीरन	उष्ण-शुष्क	इंदौर	

संलग्नक-3 (ANNEXURE-III)

ऐसे विभाग जिनका मप्र-ऊर्जा संरक्षण संहिता के अन्तर्गत अपनी भूमिका तथा उत्तरदायित्व है, के बारे में प्ररूप की प्रस्तुति (For submittal for Departments having their Rules and Responsibilities in MP-ECBC)

निम्न प्ररूप को को क्षेत्राधिकार धारक अधिकारी (AUTHORITY HAVING JURISDICTION) द्वारा भरा जाएगा तथा इसे मप्रऊविनिलि तथा विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी (DISTRIBUTION LICENSEE) के साथ ई-मेल द्वारा साझा किया जाएगा। विलेख का अनुमोदन किये जाने पर (जिसे तत्क्षण साझा किया जाना चाहिए) मय आधिकारिक पत्र के साथ भी सुसंबद्ध विभागों को प्रेषित किया जायेगा।

मप्र-ईसीबीसी नियमों के अनुसार इसे क्षेत्राधिकार धारक अधिकारी द्वारा भरा जाए		
सरल क्रमांक	मद	विवरण
1	विशिष्ट भवन पहचान संकेत (Unique Building Identification-Code)	xxxxxx
2.1	भवन का संयोजित भार (Connected Load of Building)	100 किलोवाट (kW) या इससे अधिक
2.2	अथवा भवन की संविदा मांग (Or Building Contract Demand)	120 किलोवोल्ट एम्पीयर (kVA) या इससे अधिक
3	भवन प्रकार (Building Type)	एकल स्वामित्व (Single Owned), अन्तर्भाग तथा ढांचा (Core and Shell) अथवा मिश्रित उपयोग (Mixed-use)
4	प्रयोज्यता, मप्र-ईसीबीसी नियमों के अनुसार धारा 3.2 के अनुसार भवन का वर्गीकरण (Building classification as per § 3.2, Applicability, MP-ECBC Rules)	आतिथ्य सत्कार (Hospitality), स्वास्थ्य देखभाल (Health Care), सम्मेलन भवन (Assembly), व्यावसायिक/व्यापारिक (Business), और अन्य (others)
5	भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) {Total Building Built-up Area (in sq.m.)}	
6	धारा 3.2, प्रयोज्यता, म.प्र.-ईसीबीसी नियमों के अन्तर्गत भवन का कुल क्षेत्रफल (Total Building Area under §3.2, Applicability, MP-ECBC Rules)	धारा 3.2, प्रयोज्यता, मप्र-ईसीबीसी नियमों के अनुसार वाणिज्यिक उपयोग हेतु (वाणिज्यिक भवनों के अतिरिक्त अन्य

		क्षेत्र के लिये नहीं)
7	धारा 3.2 प्रयोज्यता, म.प्र.–ईसीबीसी नियमों के अन्तर्गत कुल तल संख्या (No of floor under §3.2, Applicability, MP-ECBC Rules)	धारा 3.2, प्रयोज्यता, म.प्र.–ईसीबीसी नियमों के अनुसार वाणिज्यिक उपयोग हेतु (वाणिज्यिक भवनों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र के लिये नहीं)
8	भवन का कुल अनुकूलित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) {Total Conditioned Area of Building (in sq.m.)}	
9	भवन का कुल गैर-अनुकूलित क्षेत्रफल (Total unconditioned Area of Building (in sq.m.) (वर्गमीटर में)	
10	संभाग (Division)	
11	जिला (District)	
12	शहर/नगर/ग्राम (City/Town/Village)	
13	जलवायु वर्गीकरण (Climatic Classification)	उष्ण शुष्क मिश्रित जलवायु
14	अनुमोदन तिथि (Date of Approval)	
15	अधिकृत हस्ताक्षर (Authorized Signature)	
16		
17		

* उपरोक्त पत्र की एक प्रतिलिपि मय भवन रेखांकनों (**BUILDING DRAWINGS**) के अनुमोदन के मुद्रांकन तथा हस्ताक्षर के भवन स्वामी (**OWNER**) के साथ साझा की जाएगी/जानी चाहिए

निम्न प्ररूप (Form) को वितरण अनुज्ञप्तिधारी (DISTRIBUTION LICENSEE) अथवा भवन स्वामी (OWNER) द्वारा भरा जाए (नियम 8.9 एवं नियम 11.4 के अनुसार)

अनुमोदन किये जाने पर इसे मप्रऊविनिलि तथा संचालन समिति (STEERING COMMITTEE MEMBER) के साथ ईमेल के माध्यम से स्थाई विद्युत संयोजन (PERMANENT ELECTRICAL CONNECTION) हेतु साझा किया जाना चाहिए (इसे तत्क्षण साझा किया जाए)

इसके अतिरिक्त नवीन स्थाई विद्युत संयोजन (NEW PERMANENT ELECTRICAL CONNECTION) हेतु आवेदन करते समय भवन स्वामी (OWNER) द्वारा पावती की प्रतिलिपि साझा की जानी चाहिए {जिसे प्रत्येक नवीन विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID) के साथ प्रथम पत्र व्यवहार के दौरान केवल एक बार ही साझा किया जाना चाहिए}

सरल क्रमांक	विवरण (Description)	एकल भवन स्वामी/बहुसंख्या में भवन स्वामियों हेतु (For Single Owner / Mn)	
1	विशिष्ट भवन पहचान संकेत (Unique building Identification-Code) {जिसका नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग द्वारा ईमेल/पत्र के साथ प्रतिपरीक्षण (cross-check) कर साझा किया जाना चाहिए}	XXXXXX	
2	भवन का संयोजित भार (Connected Load of Building) (भवन स्वामी द्वारा साझा की गई पावती के अनुसार)	100 किलोवाट (kW) या इससे अधिक	अधिकतम अभिलेखित मांग (केवीए में) (Maximum Recorded Demand) (in KVA)
3	अथवा भवन की संविदा मांग (Building Contract Demand) (भवन स्वामी द्वारा साझा की गई पावती के अनुसार)	120 किलोवोल्ट एम्पीयर (kVA) या इससे अधिक	
4	भवन प्रकार (भवन स्वामी द्वारा साझा की गई पावती के अनुसार)	एकल स्वामित्व (Single Owned), अन्तर्भाग तथा ढाँचा (Core and Shell) अथवा मिश्रित उपयोग (Mixed-use)	
5	भवन वर्गीकरण (भवन स्वामी द्वारा साझा की गई पावती के अनुसार)	आतिथ्य सत्कार (Hospitality), स्वास्थ्य देखभाल (Health Care), सम्मेलन भवन (Assembly), व्यवसायिक/व्यापारिक (Business), और अन्य (others)	
6	ऊर्जा खपत के विवरण (किलोवाट ऑवर में) वर्ष (Energy Consumption Details (in kWh); year)	उदाहरण : वित्तीय वर्ष 2018-19	
6.1	अप्रैल		
6.2	मई		

6.3	जून		
6.4	जुलाई		
6.5	अगस्त		
6.6	सितम्बर		
6.7	अक्टूबर		
6.8	नवम्बर		
6.9	दिसम्बर		
6.1	जनवरी		
6.11	फरवरी		
6.12	मार्च		
7	संयोजन प्रकार (Connection Type)		
8	आईवीआरएस/खाता पहचान संख्या (IVRS/Account ID)		
9	वार्षिक औसत यूनिट दर (रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में) (Annual Average Unit Rate (in Rs./kWh))		

*उपरोक्त पत्रक ('Mn') संख्या हेतु होगा; अधिमानतः इन नियमों की धारा 14.7 तथा 16.7 हेतु